सीडो योजनाएँ

लघु उद्योगों के लिए ऋण गारण्टी निधि योजना

लघु उद्योगों से सम्बन्धित ऋण गारण्टी निधि के न्यासियों के बोर्ड, यह निर्णय करते हुए कि ऋण सम्बन्धी किसी संपार्श्विक प्रतिभूति और/अथवा तृतीय पक्ष की गारण्टी के बिना, लघु उद्योग क्षेत्र में कर्जदारों को ऋण सुविधाओं के सम्बन्ध में पर्याप्त सीमा तक गारंटी प्रदान करने के प्रयोजन से एक योजना बनाई जाए, निम्नलिखित योजना बनाते हैं—

1. नाम और आरम्भ होने की तारीख

(i) योजना का नाम लघु उद्योगों के लिए ऋण गारण्टी निधि योजना है।

(ii) यह 1 अगस्त, 2000 से प्रवृत्त है।

(iii) इसमें 1 जून, 2000 से प्रभावी पात्र कर्जदारों को ऋणदाता संस्थाओं द्वारा दी जा रही उपयुक्त ऋण सुविधाएँ शामिल होंगी।

2. परिभाषाएँ

इस योजना के प्रयोजनार्थ—

(i) 'व्यतिक्रम राशि' से वह राशि अभिप्रेत है जो आवधिक ऋण और बकाया कार्यकारी पूँजी सुविधाओं (ब्याज सहित) की राशि के सम्बन्ध में कर्जदार के लेखे (लेखों) में बकाया है, परन्तु गारण्टी कवर के विरुद्ध न्यास पर कोई दावा करते समय इसकी अधिकतम सीमा लेखे के एन पी ए बनने की तारीख को अथवा न्यास द्वारा विनिर्दिष्ट किसी ऐसी तारीख को स्वीकृत कार्यकारी पूँजी सीमा पर आधारित निधि के अधीन होगी।

(ii) 'संपार्श्विक प्रतिभूति' से वह प्रतिभूति अभिप्रेत है जो एक कर्जदार को ऋणदाता संस्था द्वारा दी गई ऋण सुविधा के बारे में मुख्य प्रतिभूति के अतिरिक्त उपलब्ध कराई गई है।

(iii) 'ऋण सुविधा' से ऐसी कोई वित्तीय सहायता अभिप्रेत है जो ऋणदाता संस्था द्वारा कर्जदार को आवधिक ऋण और/कोष आधारित कार्यकारी पूँजी सुविधाओं (नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट, खरीदे अथवा डिस्काउंट के साथ बिल आदि) के रूप में दी जाती है। गारण्टी शुल्क के परिकलन के प्रयोजनार्थ 'दी गई सुविधा' से वित्तीय सहायता की वह राशि अभिप्रेत होगी जिसके लिए ऋणदाता संस्था कर्जदार से प्रतिबद्ध है, चाहे वह दी गई है अथवा नहीं। सेवा शुल्क के परिकलन के प्रयोजनार्थ दी गई सुविधा के संगत वर्ष की 31 मार्च के बकाया राशि अभिप्रेत होगी।

(iv) 'पात्र कर्जदार' नई अथवा मौजूद लघु उद्योग इकाइयाँ अभिप्रेत हैं, जिनमें ऐसी सूचना प्रौद्योगिकी और साफ्टवेयर उद्योग शामिल हैं जिन्हें ऋणदाता संस्थाओं ने किसी संपार्श्विक प्रतिभूति और/अथवा तृतीय पक्ष की गारण्टी के बिना ऋण सुविधा प्रदत्त की है।

(v) 'गारण्टी कवर' से प्रति पात्र कर्जदार को उपलब्ध अधिकतम कवर अभिप्रेत है जो ऋणदाता संस्था द्वारा दी गई ऋण सुविधा के सम्बन्ध में व्यतिक्रम राशि के 75% से अधिक नहीं होगी परन्तु साथ ही यह 18.75 लाख रुपये (अठारह लाख पचहत्तर हजार रुपये) से अधिक नहीं होगी

(vi) 'ऋणदाता संस्था' (संस्थाओं) से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 को दूसरी अनुसूची में इस समय शामिल कोई वाणिज्यिक बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जैसा कि न्यास द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट हो, अथवा ऐसी कोई अन्य संस्था, जिसके बारे में भारत सरकार द्वारा समय-समय निर्देश हो, से अभिप्रेत है। न्यास कार्य-निष्पादन की समीक्षा करके पात्र संस्थाओं की सूची में से किसी ऋणदाता संस्था का नाम हटा सकता है।

(vii) 'परिपक्वता की तारीख' उस तारीख से अभिप्रेत है जिस तारीख को पात्र कर्जदार के सम्बन्ध में कवर की गई राशि पर गारण्टी शुल्क पात्र संस्था द्वारा न्यास

को देय हो जाता है।

(viii) 'निष्क्रिय सम्पत्ति' (एन पी ए) से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों और मार्ग-निर्देशों के आधार पर निष्क्रियता के रूप में वर्गीकृत सम्पत्ति अभिप्रेत है।

(ix) ऋण सुविधा के बारे में 'प्रमुख सुरक्षा' से ऐसी सम्पत्तियाँ अभिप्रेत हैं जो दी गई ऐसी ऋण सुविधाओं से सृजित की गई हैं और/अथवा जो सीधे ऐसी परियोजना अथवा व्यवसाय से सम्बद्ध हैं जिनके लिए ऋण सुविधाएँ दी गई हैं।

(x) ऋणदाता संस्था के लिए 'ऋण देने की प्रमुख दर' से वह दर अभिप्रेत होगी जिसे उक्त ऋणदाता संस्था ने संगत समयावधि/अवधि जिसके लिए ऋण सुविधा दी गई है, के लिए घोषित किया है।

(xi) 'योजना' से लघु उद्योगों के लिए ऋण गारण्टी कोष योजना अभिप्रेत हो।

(xii) 'सिडबी' से भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 (1989 का 39) के अन्तर्गत स्थापित भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अभिप्रेत है।

(xiii) 'लघु उद्योग इकाई' से ऐसा औद्योगिक उपक्रम अभिप्रेत है जिसके सम्बन्ध में स्वामियों द्वारा अथवा ऐसे अन्य पक्षों द्वारा, जो उक्त उपक्रम के लिए कार्य करने के अधिकारी हैं, एक शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया है अथवा गारण्टी लेनेवाली ऋणदाता संस्था ने अपनी यह सन्तुष्टि कर ली है कि संयंत्र और मशीनरी में निवेश ऐसी राशि से अधिक न हो जो केन्द्र सरकार ने उस सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट की हो और वे ऐसी शर्तों के अधीन हैं जो सरकार अथवा न्यास ने इस सम्बन्ध में निर्धारित की गई हों।

(xiv) 'गारण्टी कवर की अवधि' से गारण्टी कवर की वह अधिकतम अवधि अभिप्रेत है जो आवधिक ऋण की सहमत अवधि और जिन मामलों में केवल कार्यकारी पूँजी की ही सुविधा दी जाती है और उन मामलों में 5 वर्ष अथवा 5-5 वर्षों के खण्डों की काल अवधि अथवा वह अवधि होगी जो न्यास द्वारा विनिर्दिष्ट की गई हो।

(xv) 'न्यास' से भारत सरकार और सिडबी द्वारा स्थापित लघु उद्योगों के लिए ऋण गारण्टी कोष न्यास से अभिप्रेत है जिसका प्रयोजन पात्र कर्जदारों को ऋणदाता संस्था (संस्थाओं) द्वारा दी गई ऋण सुविधाओं की गारण्टी देना है।

योजना का कार्यक्षेत्र और सीमा

3. न्यास द्वारा गारण्टी

(i) योजना के अन्य प्रावधानों के अधीन न्यास ऐसी पात्र संस्थाओं द्वारा जिन्होंने न्यास के साथ इस प्रयोजनार्थ करार किया है, समय-समय पर पात्र कर्जदार को दी गई ऋण सुविधाओं के बारे में उक्त ऋण सुविधाओं पर गारण्टी देने का कार्य करता है।

(ii) न्यास के पास ऋणदाता संस्था द्वारा भेजे गए किसी भी प्रस्ताव को मंजूर अथवा नामंजूर करने का अधिकार सुरक्षित है बशर्ते वह योजना के मानदण्डों को पूरा करता हो।

4. योजना के अन्तर्गत पात्र ऋण सुविधाएँ

न्यास, पात्र ऋणदाता संस्था/संस्थाओं द्वारा लघु उद्योग इकाइयों, जिनमें सूचना प्रौद्योगिकी और साफ्टवेयर उद्योग शामिल हैं, किसी संपार्श्विक प्रतिभूति और/अथवा तीसरे पक्ष की गारण्टी के बिना न्यास के साथ करार सम्पन्न करके अथवा उसके बाद आवधिक ऋण और/अथवा कार्यकारी पूँजी सुविधाओं के रूप में अधिकतम 25 लाख रुपये के एकल पात्र कर्जदार के सम्बन्ध में दी गई ऋण सुविधाओं को कवर करेगा।

बशर्ते कि ऋणदाता संस्था मंजूरी की तारीख से 90 दिन के भीतर गारण्टी कवर के लिए आवेदन करे, बशर्ते यह और कि परिपक्वता की तारीख को—

(i) ऋणदाता संस्थान की बकाया राशि डूब न गई हो अथवा वसूली के लिए सन्देहास्पद न हो गई हो, और/अथवा

(ii) कर्जदार का व्यवसाय अथवा क्रिया-कलाप, जिसके लिए ऋण सुविधा दी गई थी, बन्द तो नहीं हो गए हैं; और/अथवा

(iii) न्यास से इस सम्बन्ध में पूर्व सहमति लिए बिना ऋण सुविधा का पूर्ण अथवा आंशिक रूप से डूबे समझे जानेवाले ऋणों अथवा वसूली के लिए सन्देहास्पद हो गए ऋणों का समायोजन करने के लिए उपयोग न किया गया हो।

5. योजना के अन्तर्गत अमान्य ऋण सुविधाएँ

योजना के अन्तर्गत गारण्टी देने के लिए निम्नलिखित ऋण सुविधाएँ मान्य नहीं होंगीं—

(i) ऐसी कोई ऋण सुविधा, जिसके सम्बन्ध में जोखिम जमा बीमा और ऋण गारण्टी निगम अथवा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा परिचालित/प्रशासित योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त रूप से कवर हैं, उस सीमा तक जहाँ तक कि उन्हें कवर किया गया हो।

(ii) ऐसी कोई ऋण सुविधा, जो किसी कानून के प्रावधानों, अथवा केन्द्र सरकार अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के ऐसे निदेशों अथवा अनुदेशों, जो इस समय प्रवृत्त हो सकते हों, के अनुरूप नहीं है अथवा किसी रूप में असंगतपूर्ण है।

(iii) किसी कर्जदार, जिसने इस योजना के अन्तर्गत अथवा उपर्युक्त खण्ड (i), (ii) और (iii) में निर्दिष्ट योजनाओं के अन्तर्गत कवर हुई कोई अन्य ऋण सुविधा प्राप्त की है और जहां ऋणदाता संस्था ने न्यास द्वारा प्रदत्त अथवा उपर्युक्त खण्ड (i), (ii) और (iii) में निर्दिष्ट योजनाओं के अन्तर्गत प्रदत्त गारण्टी की माँग की हो, परन्तु न्यास को देय अथवा उपर्युक्त खण्ड (i), (ii) और (iii) में निर्दिष्ट योजनाओं के अन्तर्गत, जैसा भी मामला हो, राशि के किसी भाग का उक्त ऋण सुविधा के सम्बन्ध में कर्जदार की ओर से किसी चूक के कारण पुनर्भुगतान नहीं किया है, को दी गई ऐसी कोई ऋण सुविधा।

(iv) कोई ऐसी ऋण सुविधा जो ऋणदाता संस्था द्वारा संपार्श्विक प्रतिभूति और/अथवा तीसरे पक्ष की गारण्टी के विरुद्ध स्वीकृति की है।

(v) कोई ऐसी ऋण सुविधा जिसकी ऋणदाता संस्था ने उक्त ऋणदाता संस्था की प्रमुख ऋण दर से 3% अधिक ब्याज दर पर मंजूरी दी है।

(vi) ऋणदाता संस्था द्वारा किसी अन्य संस्था के साथ संयुक्त रूप से दी गई ऋण सुविधा गारण्टी कवर के लिए उपयुक्त नहीं होगी।

6. ऋणदाता संस्था द्वारा निष्पादित किया जानेवाला करार

कोई भी ऋणदाता संस्था उसके द्वारा दी गई किसी उपयुक्त सुविधा के सम्बन्ध में गारण्टी के लिए अधिकारी नहीं होगा, बशर्ते उसने योजना के अन्तर्गत, जिसके लिए योजना के अन्तर्गत प्रावधान किया गया है, ऋणदाता संस्था द्वारा दी गई सभी उपयुक्त ऋण सुविधाओं को गारण्टी के रूप में कवर करने के लिए ऐसे रूप में, जैसा कि न्यास द्वारा अपेक्षित है, न्यास के साथ करार न किया हो।

7. योजना के अन्तर्गत ऋणदाता संस्था के दायित्व

(i) ऋणदाता संस्था बैंक के विवेकपूर्ण निर्णय का उपयोग करके ऋण आवेदन-पत्रों का मूल्यांकन करेगी और वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य प्रस्तावों के चयन में अपने व्यावसायिक विवेक/कर्मठता का प्रयोग करेगी तथा बैंक की सामान्य बुद्धिमानी के साथ कर्जदारों के लेखों को रखेगी।

(ii) ऋणदाता संस्था कर्जदार के लेखों पर कड़ी निगाह रखेगी।

(iii) ऋणदाता संस्था ऋण सुविधा के बारे में कर्जदार से ली गई प्रमुख प्रतिभूति की सुरक्षा अच्छी और प्रवर्तनीय हालत में करेगी।

(iv) ऋणदाता संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि ऋण सुविधा और कर्जदार के सम्बन्ध में गारण्टी दावा न्यास के पास ऐसे रूप में और ऐसे तरीके से और उतने समय के भीतर जमा कराया जाता है जो इस सम्बन्ध में न्यास द्वारा निर्धारित किया गया हो और यह कि कर्जदारों के लेखे में चूक की सूचना देने में उसकी ओर से कोई देरी नहीं होगी और फलस्वरूप न्यास को अधिक गारण्टी दावों का सामना नहीं करना होगा।

(v) न्यास द्वारा ऋणदाता संस्था को गारण्टी दावों का भुगतान कर देने से ऋणदाता संस्था की कर्जदार से ऋण की पूरी राशि वसूल करने की जिम्मेदारी किसी भी तरह से समाप्त नहीं होती है। ऋणदाता संस्था दी गई ऋण सुविधा की समस्त राशि के लिए कर्जदार के प्रति सभी आवश्यक सावधानियाँ बरतेगा और अपने साधनों को बनाकर रखेगा और बकाया राशि की वसूली के लिए सभी आवश्यक कार्यवाही करेगा जिनमें न्यास द्वारा सलाह के रूप में बताई गई कार्यवाही भी शामिल है।

(vi) ऋणदाता संस्था न्यास के ऐसे निदेशों का जैसा कि न्यास ठीक समझे, अनुपालन करेगी जो उसने गारण्टीशुदा लेखे में वसूलियों को सुविधाजनक बनाने

अथवा गारण्टीदाता के रूप में अपने हित की सुरक्षा के लिए समय-समय पर जारी किए हों और ऋणदाता संस्था ऐसे निदेशों का पालन करने के लिए बाध्य होगी।

(vii) ऋणदाता संस्था प्रत्येक गारण्टीयुक्त लेखे के सम्बन्ध में बकाया राशि की वसूली में और सभी उपलब्ध तरीके से न्यास के हित की सुरक्षा करने में उसी विवेक का इस्तेमाल करेगी जो उसने न्यास द्वारा कोई गारण्टी न दिए जाने की अवस्था में सामान्य अवस्था में किए होते। ऋणदाता संस्था विशेष रूप से गारण्टी की माँग से पहले अथवा बाद में किसी भी ऐसी चूक अथवा गलत आचरण से बचेगा जिसका कि गारण्टीदाता के रूप में न्यास के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। विशेष रूप से ऋणदाता संस्था को किसी ऐसे सुलहनामे अथवा व्यवस्था, जिससे व्यक्तिगत गारण्टी (गारण्टियों) अथवा प्रतिभूति डिस्चार्ज हो सकती हो अथवा माफ हो सकती हो, करने से पहले न्यास से पूर्वानुमति लेनी चाहिए। ऋणदाता संस्था कर्जदार के साथ करार में शर्त के माध्यम से अथवा अन्यथा यह भी सुनिश्चित करेगी कि वह न्यास से लिखित रूप में पूर्व अनुमोदन लिए बिना अपने लिए अथवा किसी अन्य ऋणदाता के पक्ष में गारण्टी में कवर न किए गए किसी लेखे के लाभ के लिए गारण्टी में कवर लेखे में रखी प्रतिभूति पर कोई अभियोग नहीं बनाएगा। साथ ही, ऋणदाता संस्था कर्जदार के साथ करार में शर्त लगाकर अथवा अन्यथा न्यास अथवा उसकी नियुक्त एजेन्सी के लिए न्यास की वेबसाइट पर दोषी कर्जदारों के नाम और विवरण की सूची देने का अधिकार सुनिश्चित करेगी।

गारण्टी शुल्क

8. गारण्टी शुल्क और वार्षिक सेवा शुल्क

(i) स्वीकृत ऋण सुविधा की विनिर्दिष्ट दर (इस समय 2.5%) पर एक बार दिया जानेवाला गारण्टी शुल्क (ऋण सुविधा में आवधिक ऋण और/अथवा कार्यकारी पूँजी सुविधा शामिल है) गारण्टी ले रही पात्र संस्था द्वारा न्यास को अग्रिम रूप में दिया जाएगा।

(ii) ऋणदाता संस्था द्वारा प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च को योजना के अन्तर्गत शामिल कर्जदार के लेखों के नामे में बकाया राशि पर विनिर्दिष्ट दर (इस समय 1% प्रतिवर्ष) पर वार्षिक सेवा शुल्क प्रत्येक वर्ष 60 दिन के भीतर अर्थात् 31 मई को अथवा उससे पहले भुगतान किया जाएगा। उस वर्ष की 31 मई तक अथवा किसी अन्य विनिर्दिष्ट तारीख तक वार्षिक सेवा शुल्क का भुगतान न करने की परिस्थिति में ऋणदाता संस्था को योजना के अन्तर्गत गारण्टी नहीं मिल पाएगी; बशर्ते न्यास गारण्टी चालू रखने पर सहमत न हो जाए और ऋणदाता संस्था 1 जून से 4% की सालाना बैंक दर पर अथवा उस दर पर जो बैंक ने समय-समय पर विलम्ब की अवधि के लिए निर्धारित की हो, बकाया और भुगतान न किए गए सेवा शुल्क पर दण्डात्मक ब्याज का भुगतान न कर दे।

परन्तु यह और कि वार्षिक सेवा शुल्क का भुगतान निर्धारित समय के भीतर अथवा शर्तों पर न्यास द्वारा बढ़ाई गई अवधि के भीतर न होने की दशा में जिन सेवा शुल्कों पर सेवा शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है, उनके सम्बन्ध में गारण्टी देने की न्यास की जिम्मेदारी समाप्त हो जाएगी।

परन्तु यह और भी कि न्यास ऐसी शर्तों पर, जो वह तय करे, ऐसी ऋण सुविधाओं के गारण्टी कवर को नवीकृत करने पर विचार कर सकता है।

जैसा ऊपर बताया गया है, उसके अनुसार उपयुक्त ऋण सुविधाओं में बकाया राशियों के परिकलन में कोई त्रुटि अथवा अन्तर अथवा कमी पाई जाती है अथवा गारण्टी शुल्क, वार्षिक सेवा शुल्क के परिकलन में कोई त्रुटि अथवा अन्तर अथवा कमी पाई जाती हो तो उस अन्तर/कमी का ऋणदाता संस्था द्वारा न्यास को बैंक दर से 4% अधिक दर पर अथवा न्यास द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर पर उस राशि पर ब्याज सहित भुगतान किया जाएगा। यदि अधिक राशि का भुगतान हो गया है तो न्यास उसे लौटाएगा। इस सम्बन्ध में न्यास द्वारा कोई अभ्यावेदन किए जाने की दशा में न्यास उपलब्ध सूचना और ऋण दाता संस्था से प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर निर्णय लेगा और उसका निर्णय अन्तिम होगा तथा ऋणदाता संस्था के लिए बाध्य होगा।

(iii) ऋणदाता संस्था द्वारा अपने विवेक पर पात्र कर्जदार

से देय गारण्टी शुल्क और/अथवा सेवा के बराबर राशि वसूल की जा सकती है।

9. गारण्टी की सीमा

न्यास किसी उपयुक्त कर्जदार को ऋणदाता संस्था द्वारा दी गई ऋण सुविधा की व्यतिक्रम राशि के 75%, परन्तु प्रति कर्जदार अधिकतम गारण्टी कवर अथवा 18.75 लाख रुपये (अठारह लाख पचहत्तर लाख रुपये) तक की गारण्टी कवर दे सकता है। गारण्टी कवर गारण्टी शुल्क के भुगतान की तारीख से आरम्भ होगा और आवधिक ऋण/संघटित ऋण की सहमत अवधि के साथ-साथ चलेगी। जिन मामलों में पात्र कर्जदार को केवल कार्यकारी पूँजी ही दी जाती है, वहाँ गारण्टी कवर 5 वर्ष की अवधि अथवा 5-5 वर्ष के खण्डों की अवधि अथवा उस अवधि के लिए होगा जो इस सम्बन्ध में न्यास ने निर्धारित की हो।

दावे

10. गारण्टी की माँग

(i) ऋणदाता संस्था निम्नलिखित शर्तें पूरी पाए जाने पर उपयुक्त ऋण सुविधा के सम्बन्ध में गारण्टी की माँग कर सकती है—

(क) उक्त ऋण सुविधा के सम्बन्ध में गारण्टी लागू हो;

(ख) कर्जदार को ऋण के पिछले भुगतान की तारीख अथवा कर्जदार को ऋण सुविधा के सम्बन्ध में गारण्टी शुल्क के भुगतान की तारीख, जो भी बाद में हो, से 24 माह की लाक-इन अवधि बीत गई हो;

(ग) ऋण सुविधा के सम्बन्ध में ऋणदाता संस्था को बकाया और देय राशि का भुगतान नहीं किया गया है और ऋणदाता संस्था ने उस राशि को निष्क्रिय सम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया है। परन्तु यह कि उक्त ऋण सुविधा के सम्बन्ध में हानि न्यास द्वारा जारी मार्ग-निर्देशों के विपरीत कार्य करने/निर्णय लेने अथवा उनका उल्लंघन करने के कारण हुई है तो ऋणदाता संस्था उक्त ऋण सुविधा के सम्बन्ध में न्यास पर कोई दावा नहीं करेगी अथवा दावा करने की अधिकारी नहीं होगी।

(घ) ऋण सुविधा वापस ले ली गई है और कानून की विधिवत प्रक्रिया के अन्तर्गत वसूली कार्यवाही आरम्भ हो गई है।

(ii) ऋणदाता संस्था द्वारा इस तरीके से और ऐसी अवधि के भीतर किया जाना चाहिए जो न्यास ने इस सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट की हो।

(iii) न्यास ऋणदाता संस्था द्वारा उपयुक्त दावा करने पर गारण्टीयुक्त राशि का 75% 30 दिन के भीतर देगा बशर्ते दावा हर तरह से अन्यथा ठीक और पूरा हो। न्यास ऋणदाता संस्था को 30 दिन से अधिक के विलम्ब की अवधि के लिए मौजूदा बैंक दर पर दावे की उपयुक्त राशि पर ब्याज का भुगतान करेगा। गारण्टीयुक्त राशि के शेष 25% भाग का भुगतान ऋणदाता संस्था द्वारा वसूली प्रक्रिया पूरी कर लेने के बाद किया जाएगा। दावे का भुगतान करने पर न्यास सम्बन्धित ऋणदाता के बारे में प्रवृत्त गारण्टी के सम्बन्ध में अपने सभी दायित्वों से मुक्त हुआ समझा जाएगा।

(iv) दोष की स्थिति में ऋणदाता संस्था कर्जदारों की सम्पत्तियों पर कब्जा करने के अपने अधिकार, यदि कोई है, का प्रयोग करेगा और ऐसी सम्पत्तियों को बेचने से अथवा अन्यथा वसूल की गई सम्पूर्ण राशि, यदि कोई है, को गारण्टीयुक्त राशि के शेष 25% का दावा करने से पूर्व न्यास के नाम जमा करेगा।

(v) ऋण सुविधा के मूल्यांकन/नवीनीकरण/अनुपालन/संचालन के मामले में गम्भीर कमियाँ पाए जाने अथवा दावे को एक से अधिक बार प्रस्तुत कर दिए जाने की दशा में अथवा उस मामलों में जहाँ दावों के निपटान के लिए ऋणदाता संस्था की ओर से कोई ठोस जानकारी छिपाई गई है, न्यास द्वारा वापसी की माँग की जाती है तो ऋणदाता संस्था को मौजूदा बैंक दर से 4% अधिक दर पर दण्डात्मक ब्याज के साथ न्यास द्वारा मुक्त किए गए दावे को लौटाना होगा। न्यास द्वारा माँग करने पर ऋणदाता संस्था को न्यास द्वारा दावे को आरम्भिक रूप से मुक्त करने की तारीख से दावे की वापसी की तारीख तक ऐसे दण्डात्मक ब्याज का भुगतान करना होगा।

11. प्रदत्त दावों के कारण अधिकारों और वसूलियों का प्रतिस्थापन

(i) ऋणदाता संस्था न्यास को वसूलियों के बारे में अपने प्रयासों और ऐसी अन्य जानकारी, जिसकी समय-

समय पर माँग की जा सकती है अथवा अपेक्षित हो, के ब्यौरे भेजेगी। ऋणदाता संस्था कर्जदार को दी गई ऋण सुविधा से सृजित सम्पत्तियों पर अपनी ओर से अथवा न्यास की ओर से अधिकार रखेगी। न्यास अधिकारों का कोई प्रतिस्थापन नहीं करेगा और यह कि बकाया की वसूली, सम्पत्तियों के नियन्त्रण, सम्पत्तियों की बिक्री आदि का दायित्व ऋणदाता संस्था के पास रहेगा।

(ii) यदि कोई कर्जदार ऋणदाता संस्था का अनेक भिन्न-भिन्न और अलग-अलग ऋणों का देनदार है और उनमें से किसी एक या अधिक का भुगतान कर रहा है, चाहे वह लेखा जिसके लिए भुगतान किया जाता है, न्यास की गारण्टी द्वारा कवर है अथवा नहीं, ऐसे भुगतान, इस खण्ड के प्रयोजनार्थ, को यह माना जाएगा कि ऋणदाता संस्था ने गारण्टी द्वारा कवर किए गए ऋण का विनियोजन कर लिया है और इस सम्बन्ध में दावा पेश किया गया और भुगतान किया गया है, चाहे ऐसे कर्जदार द्वारा बताए गए विनियोजन का तरीका और वह तरीका जिसके अन्तर्गत ऐसे भुगतान को वास्तव में विनियोजित किया जाता है, कुछ भी क्यों न हो।

(iii) वसूली गई और न्यास को भुगतान की जानेवाली बकाया राशि का अविलम्ब भुगतान किया जाएगा और यदि कोई ऐसी राशि जो न्यास को देय है, उस तारीख, जबकि उसकी पहली वसूली हुई थी, से 30 दिन की अवधि से अधिक समय तक अप्रदत्त रह जाती है तो ऋणदाता संस्था उस अवधि के लिए, जब तक कि भुगतान 30 दिन की उक्त अवधि के बीत जाने के बाद बकाया रह गया था, बैंक दर से 4% अधिक दर पर न्यास को ब्याज का भुगतान करेगी।

विविध

12. ऋणदाता संस्थाओं से प्राप्त राशि विनियोजन

ऋणदाता संस्थाओं से प्राप्त राशि का विनियोजन इस तरह से किया जाएगा जैसे कि सेवा शुल्क, दण्डात्मक ब्याज और अन्य प्रभारों में बकाया है। यदि सेवा शुल्क और दण्डात्मक ब्याज की बकाया की तारीख एक है तो विनियोजन पहले सेवा शुल्क और बाद में दण्डात्मक ब्याज और अन्त में उपयुक्त ऋण सुविधा के बारे में भुगतान के लिए देय अन्य प्रभारों में किया जाएगा।

13. गारण्टी की माँग कर लेने के बाद ऋण सुविधा के बारे में ऋणदाता संस्था द्वारा वसूल की गई राशि का विनियोजन

इस योजना की धारा 10 में निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार न्यास द्वारा व्यतिक्रम राशि के लिए ऋणदाता संस्था को राशि रिलीज कर देने के पश्चात यदि ऋणदाता संस्था वसूली कार्यवाही आरम्भ करने के पश्चात् राशि वसूल करती है तो वह उस राशि की वसूली के लिए उसके द्वारा किए गए व्यय का समायोजन करने के बाद उस राशि को न्यास के पास जमा कराएगी। न्यास उस राशि को पहले बकाया सेवा शुल्क, दण्डात्मक ब्याज और न्यास को देय अन्य प्रभार, यदि ऋणदाता संस्था द्वारा वसूली गई राशि के सम्बन्ध में ऋण सुविधा के बारे में कोई प्रभार देय है, विनियोजन करेगा और यदि कोई राशि शेष बचती है तो उसे इस तरह से विनियोजित किया जाएगा जिससे ऋण सुविधा की कमी के कारण हुई हानियाँ न्यास और ऋणदाता संस्था के बीच क्रमशः 75% और 25% के अनुपात में हों।

14. कतिपय मामलों में न्यास का उत्तरदायित्व समाप्त होना

(i) यदि योजना के अन्तर्गत गारण्टीयुक्त उपयुक्त ऋण सुविधा के लिए कर्जदार की देयताएँ ऋणदाता संस्था को हस्तान्तरित कर दी जाती हैं अथवा किसी अन्य कर्जदार को सौंप दी जाती हैं, और कर्जदार की पात्रता और सुविधा की राशि के बारे में शर्तों और ऐसी अन्य शर्तों की, यदि कोई है, जिनके अधीन योजना के अन्तर्गत ऋण सुविधा की गारण्टी दी जा सकती है, उक्त हस्तान्तरण अथवा देयताओं के सौंपे जाने के बाद पूर्ति नहीं होती है तो ऋण सुविधा के बारे में गारण्टी को उक्त हस्तान्तरण अथवा देयताओं को सौंपे जाने की तारीख से समाप्त माना जाएगा।

(ii) यदि कोई कर्जदार योजना के अन्तर्गत अपने क्रिया-कलापों के बन्द हो जाने के कारण अथवा उसके उपक्रम के लघु उद्योग इकाई की परिभाषा में से बाहर हो जाने के कारण किसी दी जा रही ऋण सुविधा के अयोग्य बन जाता है तो योजना के अन्तर्गत ऋणदाता संस्था द्वारा उसे दी गई ऋण सुविधा के सम्बन्ध में न्यास की देयता कर्जदार के अपात्र बन

जाने की तारीख को ऋणदाता संस्था के प्रति कर्जदार की देयता के बराबर सीमित हो जाएगी, तथापि, यह सीमा योजना के अन्तर्गत निर्धारित न्यास की देयता के अधीन होगी।

(iii) यदि कर्जदार एक साझीदार फर्म है, किसी एक साझीदार की मृत्यु हो जाती है अथवा सेवा-निवृत्त हो जाता है अथवा संयुक्त कर्जदारों में से किसी एक की मृत्यु हो जाए, तब भी, यदि ऋणदाता संस्था जीवित साझीदार अथवा साझीदारों को अथवा जीवित कर्जदार अथवा कर्जदारों को, जैसा भी मामला हो और यदि ऋण सुविधाएँ पहले से ही निष्क्रिय सम्पत्तियाँ न बन गई हों, ऋण सुविधाओं को चलाए रखने की अधिकारी हैं तो ऐसी ऋण सुविधाओं के सम्बन्ध में गारण्टी समाप्त नहीं मानी जाएगी, जैसा कि इस पैराग्राफ में दिया गया है।

15. विवरणियाँ और निरीक्षण

(i) ऋणदाता संस्था ऐसे विवरण और ऐसी जानकारी प्रस्तुत करेगा जिसकी न्यास योजना के अन्तर्गत किसी ऋण सुविधा के सम्बन्ध में माँग कर सकता हो।

(ii) ऋणदाता संस्था न्यास को ऐसे सभी दस्तावेज, प्राप्तियाँ, प्रमाण-पत्र और अन्य लेख भी भेजेगा, जिनकी न्यास माँग कर सकता है और यह पुष्ट हुआ माना जाएगा कि ऐसे दस्तावेजों, प्राप्तियों, प्रमाण-पत्रों और अन्य लेखों की विषय-वस्तु सही है, बशर्ते कोई दावा नामंजूर न किया जाएगा और सद्भावना के साथ किए गए किसी कार्य के लिए ऋणदाता संस्था अथवा उसके किसी अधिकारी पर कोई देयता नहीं लगाई जाएगी।

(iii) योजना के प्रयोजनार्थ जहाँ तक आवश्यक है, न्यास को ऋणदाता संस्था से ऋणदाता संस्था के और किसी भी कर्जदार की लेखा-पुस्तकों और अन्य रिकार्डों (इनमें अग्रिमों के संचालन से सम्बन्धित अनुदेशों से सम्बद्ध पुस्तक, मैनुअल अथवा सामान्य अनुदेशों वाले परिपत्र शामिल हैं) की प्रतियों का निरीक्षण करने अथवा माँगने का अधिकार होगा। ऐसा निरीक्षण न्यास अथवा सिडबी के अधिकारियों अथवा निरीक्षण के प्रयोजनार्थ न्यास द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्तियों के माध्यम से किया जाएगा। ऋणदाता संस्था अथवा कर्जदार प्रत्येक अधिकारी अथवा अन्य कर्मचारी, जो ऐसा कार्य करने की स्थिति में हो, न्यास अथवा सिडबी के अधिकारियों अथवा निरीक्षण के प्रयोजनार्थ नियुक्त व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, को लेखा-पुस्तकें और अन्य रिकार्ड तथा जानकारी, जो उसके पास उपलब्ध है, उपलब्ध कराएगा।

16. योजना के अन्तर्गत लागू शर्तें ऋणदाता संस्था पर बाध्य होना

(i) न्यास द्वारा दी गई कोई भी गारण्टी योजना के प्रावधानों द्वारा इस प्रकार से अधिशासित होगी जैसे उन्हें ऐसी गारण्टी को प्रभावित करनेवाले दस्तावेजों में लिखित रूप से दिया गया हो।

(ii) ऋणदाता संस्था जहाँ तक सम्भव होगा, यह सुनिश्चित करेगी कि योजना के अन्तर्गत गारण्टीयुक्त लेखे से सम्बन्धित किसी संविदा की शर्तें योजना के प्रावधानों के विपरीत नहीं हैं परन्तु किसी अन्य दस्तावेज अथवा संविदे में किसी प्रावधान के होते हुए भी न्यास के सम्बन्ध में ऋणदाता संस्था योजना के अन्तर्गत लागू शर्तों का पालन करेगी।

17. परिशोधन और छूट

(i) तथापि, न्यास के पास योजना को इस तरह से परिशोधित करने, निरस्त करने अथवा बदलने का अधिकार सुरक्षित रहेगा जिससे उस तारीख तक, जबकि परिशोधन, निरस्तीकरण अथवा उसका बदला जाना प्रवृत्त होगा, योजना के अन्तर्गत जारी की गई गारण्टी के फलस्वरूप अथवा उसमें आनेवाले अधिकारों और दायित्वों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ii) इसमें निर्दिष्ट किसी भी बात के होने के बावजूद न्यास के पास ऐसे लेखे के बारे में योजना की शर्तों को बदलने का अधिकार होगा जिसके सम्बन्ध में ऐसे बदलाव की तारीख को गारण्टी की माँग नहीं की गई है।

(iii) योजना को निरस्त किए जाने की परिस्थिति में योजना द्वारा कवर की गई सुविधाओं के सम्बन्ध में न्यास के विरुद्ध कोई दावा नहीं किया जाएगा बशर्ते योजना की धारा 10 के खण्ड (i) और (ii) में दिए गए प्रावधानों का ऋणदाता संस्था द्वारा उस तारीख से पूर्व, जिसको कि निरस्तीकरण प्रवृत्त होता है, अनुपालन किया जाता है।

18. व्याख्या

यदि योजना के किन्हीं प्रावधानों अथवा उनके सम्बन्ध में दिए गए अनुदेशों अथवा निदेशों अथवा स्पष्टीकरणों की व्याख्या के सम्बन्ध में कोई प्रश्न उठ खड़ा होता है तो न्यास का निर्णय अन्तिम होगा।

19. अनुपूरक और सामान्य प्रावधान

इस योजना के अन्तर्गत विशेष रूप से प्रदत्त न कराए गए किसी मामले के सम्बन्ध में न्यास ऐसे अनुपूरक अथवा अतिरिक्त प्रावधान बना सकता है अथवा ऐसे अनुदेश या स्पष्टीकरण जारी कर सकता है जो योजना के प्रयोजनार्थ आवश्यक हों।

20. सदस्य ऋणदाता संस्थाएँ (एम एल आई)

ऐसे बैंकों और अन्य संस्थाओं के नाम, जो 30 अप्रैल, 2002 तक सी जी टी एस आई की सदस्य ऋणदाता संस्थाएँ बन गई हैं, नीचे दिए अनुसार हैं—

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

1. इलाहाबाद बैंक
2. आन्ध्रा बैंक
3. बैंक ऑफ बड़ौदा
4. बैंक ऑफ इण्डिया
5. बैंक ऑफ महाराष्ट्र
6. कनारा बैंक
7. सेण्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया
8. कार्पोरेशन बैंक
9. देना बैंक
10. एच.डी.एफ.सी. बैंक
11. आई.डी.बी. आई. बैंक
12. इण्डियन बैंक
13. इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
14. ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
15. पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक
16. पंजाब नेशनल बैंक
17. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया
18. सिंडिकेट बैंक
19. यूको बैंक
20. यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया
21. विजया बैंक
22. आई.सी.आई.सी.आई. बैंक
23. इन्दूसिंध बैंक
24. यूनाइटिड बैंक ऑफ इण्डिया
25. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर
26. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
27. स्टेट बैंक ऑफ मैसूर
28. स्टेट बैंक ऑफ इंदौर
29. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
30. दी यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक लिमिटेड

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

31. श्री सरस्वती ग्रामीण बैंक—आन्ध्र प्रदेश
32. प्रथम बैंक—मोरादाबाद
33. साबर कंथा—गाँधीनगर ग्रामीण बैंक

अन्य संस्थाएँ

34. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड
35. उत्तर पूर्वी विकास वित्त निगम लिमिटेड

किसे सम्पर्क करें

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
क्रेडिट गारण्टी फण्ड ट्रस्ट फॉर स्माल इण्डस्ट्रीज
14 वां तल, नारीमन भवन
227, विनय के. शाह. मार्ग नारीमन पांइट, मुम्बई-400021
टेलीफोन : 022-2042753 / 5142/5234
फैक्स : 022-2045154 / 2835775
वेबसाइट : www.creditguarantee.org.14

लघु उद्योगों की प्रौद्योगिकी के उन्नयनीकरण के लिए क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना (सी.एल.सी.एस.एस.)

1. उद्देश्य

योजना का उद्देश्य, योजना के अन्तर्गत अनुमोदित प्रमाणित प्रौद्योगिकियों के प्रवेश के लिए 12% पूँजी सब्सिडी प्रदान करके विशिष्ट उत्पादों/उप-क्षेत्रों में लघु उद्योग इकाइयों को प्रौद्योगिकी उन्नयनीकरण की सुविधा प्रदान करना है।

2. योजना का कार्यक्षेत्र

योजना आरंभ में, लघु उद्योग में निम्नलिखित उत्पादों/उप-क्षेत्रों को कवर करेगी:—

1. चर्म एवं चर्म उत्पाद जिसमें पादुका एवं वस्त्र शामिल हैं,
2. खाद्य प्रसंस्करण (आईसक्रीम विनिर्माण सहित);
3. सूचना प्रौद्योगिकी (हार्डवेयर);
4. ड्रग्स एवं फार्मासयूटिकल्स;
5. ऑटो पाटर्स और कॉम्पोनेंटस;
6. विशेष रूप से अभिकल्प एवं मापन से संबंधित विद्युत उद्योग;
7. टाईल्स सहित काँच एवं मृत्तिका वस्तुएं;
8. डाईज और इंटर मीडिएटस
9. खिलौने
10. साईकिल/रिक्षा टायर सहित रबड़ संसाधन
11. हस्त औजार
12. बाइसाइकिल पाट्र्स
13. फाउंड्री - फेरस एवं कास्ट आयरन
14. पत्थर उद्योग (संगमरमर खनन उद्योग सहित)
15. सुगंधित और औषधीय पौधों पर आधारित उद्योग
16. कमबशन डिवाइसेस/उपकरण
17. गोल्ड प्लेटिंग और आभूषण
18. कॉमन एफ्ल्यूएंट ट्रीटमेंट प्लांट
19. जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग
20. प्लासिटक मोल्डेड/एक्ट्रूडेड उत्पाद और पाटर्स/कॉम्पोनेंटस एवं
21. नालीदार डिब्बे।

जैसे-जैसे योजना में प्रगति होगी, योजना के अंतर्गत गठित शासी एवं प्रौद्योगिकी अनुमोदन बोर्ड (जी टी ए बी) के अनुमोदन से उत्पादों/उप-क्षेत्रों की उपर्युक्त सूची का विस्तार किया जा सकता है।

3. पात्र प्राथमिक उधारदाता संस्थान (पी. एल. आई.)

पात्र अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (परिशिष्ट II), पात्र सहकारी बैंक (शहरी सहकारी बैंकों से भिन्न) (परिशिष्ट II ए), पात्र क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आर आर बी) (परिशिष्ट II बी), राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एन एस आई सी), राज्य वित्तीय निगम (एस एफ सी) एवं पूर्वोत्तर विकास वित्तीय संस्थान (एन ई डी एफ आई)।

4. पात्र कर्जदार

सोल प्रापराइटरशिप्स, भागीदार, सहकारी समितियां, लघु उद्योग क्षेत्र में निजी एवं सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियाँ।

5. योजना के अन्तर्गत कवर की जाने वाली इकाइयों के प्रकार

(i) राज्य उद्योग निदेशालय में पंजीकृत विद्यमान लघु उद्योग इकाइयाँ, जो उन्नत प्रौद्योगिकी से उन्नत हैं, विस्तार सहित एवं विस्तार रहित।

(ii) नई लघु उद्योग इकाइयाँ, जो राज्य उद्योग निदेशालय में पंजीकृत हैं और जो मात्र और जी.टी.ए.बी. द्वारा भलीभांति अनुमोदित उपयुक्त पात्र एवं प्रमाणित प्रौद्योगिकी से अपनी सुविधाओं की स्थापना की है। जहां तक संगमरमर खनन उद्योग का संबंध है, जब तक इकाई लघु उद्योग की परिधि में रहती है, उन्नयन के लिए उचित प्रौद्योगिकी पर पी एल आई निर्णय लेगा।

6. पात्रता मानदण्ड

(i) योजना के अन्तर्गत पूँजी सब्सिडी केवल ऐसी परियोजनाओं के लिए उपलब्ध होगी जहां सावधि ऋण पात्र प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों (पात्र अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, पात्र सहकारी बैंकों, एन एस आई सी, पात्र आर आरबी, एन ई डी एफ आई और एस एफ सी) द्वारा अक्तूबर 1, 2000 को अथवा इसके बाद संस्वीकृत किए गए हैं।

(ii) सिडबी की प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण निधि के लिए

पुनर्वितयन योजना (आर टी डी एम) के अंतर्गत कवर किए गए मामले भी प्रस्तावित योजना के अंतर्गत पूंजी सब्सिडी के लिए पात्र हैं, बशर्ते कि परियोजना सी एल सी एस एस के अंतर्गत अनुबंधित मानकों को भी पूरा करती है।

(iii) सी एल सी एस एस के अन्तर्गत अतिरिक्त ऋण संस्वीकृत होने के कारण लघु से मझौले स्तर तक पहुंचे उद्योग सहायता के लिए पात्र हैं।

(iv) गहन श्रमयुक्त और/या निर्यातोन्मुख नए क्षेत्र/नई गतिविधियां इस योजना में शामिल की जा सकती हैं।

7. प्रौद्योगिकी उन्नयन की परिभाषा

(i) प्रौद्योगिकी उन्नयन का अर्थ सामान्यत: अत्याधुनिक या निकटस्थ अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का शामिल किया जाना है। 7500 से अधिक उत्पाद जिनका भारतीय लघु उद्योग क्षेत्र में उत्पादन किया जा रहा है प्रौद्योगिकी के परिवर्ती मोजैक प्राप्त करने में, प्रौद्योगिकी उन्नयन का अर्थ वर्तमान प्रौद्योगिकी स्तर से महत्वपूर्ण रूप में पर्याप्त उच्च स्तर तक सुधरी हुई उत्पादकता शामिल है, अथवा/और उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार अथवा/और सुधरी हुई पर्यावरणीय स्थितियां जिसमें इकाई के लिए कार्य करने का वातावरण शामिल है, इसमें सुधरी हुई पैकेजिंग तकनीक की स्थापना साथ ही साथ प्रदूषण विरोधी उपाय तथा ऊर्जा संरक्षण मशीनें शामिल होंगी। जहां तक संगमरमर खनन उद्योग के उन्नयन के लिए उचित प्रौद्योगिकी का संबंध है, पात्र ऋणदाता संस्थान जब तक इसका निर्णय करेंगे तब तक इकाई लघु उद्योग की परिभाषा के दायरे में रहती है और सी एल सी एस एस के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं। इसके अतिरिक्त जिन इकाइयों को इन-हाऊस टेस्टिंग और ऑन-लाइन गुणवत्ता नियंत्रण के लिए सुविधाएं स्थापित करना आवश्यक है, वे सहायता के लिए उसी योग्य होगी क्योंकि यह प्रौद्योगिकी उन्नयन का मामला है। भलीभांति स्थापित एवं सुधरी हुई प्रौद्योगिकी की एक सूची परिशिष्ट-I पर प्रस्तुत की गई है।

(ii) विद्यमान उपकरण/प्रौद्योगिकी के समान उपकरण/प्रौद्योगिकी से प्रतिस्थापना इस योजना के लिए योग्य नहीं होगी न ही पुरानी मशीनरी से उन्नत इकाइयों पर यह योजना लागू होगी।

8. योजना की अवधि

यह योजना 1.10.2000 से 30.9.2005 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए प्रचालन में रहेगी, अथवा उस समय तक जब नोडल एजेन्सी द्वारा पूँजी सहायता की संस्वीकृति 600 करोड़ रू० तक पहुंचे, इसमें जो भी पहले हो।

9. नोडल एजेन्सी

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) इस योजना के लिए नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करेंगे।

10. सब्सिडी की राशि पर पूंजी

(i) प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए पात्र प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों से वित्तीय सहायता आवश्यकता पर आधारित होगी। तथापि 12% पूंजी सब्सिडी सहायता ऋण राशि तक ही सीमित रहेगी जैसा नीचे सूचित किया गया है :—

क्र. सं.	विद्यमान निवेश सीमा	सहायता के लिए पात्र ऋण की अधिकतम सीमा	योजना के अंतर्गत उपलब्ध अधिकतम सब्सिडी
1.	अति लघु इकाइयां जिनमें संयंत्र तथा मशीनरी पर निवेश 10 लाख रुपए से कम हो	8 लाख रुपये	0.96 लाख रुपए
2.	अति लघु इकाइयां जिनमें संयंत्र तथा मशीनरी पर निवेश 10 लाख रुपए से 25 लाख रुपए के बीच हो।	20 लाख रुपये	2.40 लाख रुपए
3.	लघु इकाइयां जिनमें संयंत्र तथा मशीनरी पर निवेश 25 लाख रुपए से अधिक हो।	40 लाख रुपये	4.80 लाख रुपए

(पात्र सब्सिडी की गणना वास्तविक ऋण राशि अथवा सब्सिडी के लिए पात्र ऋण पर उच्चतम सीमा, जो भी कम हो, पर की जाएगी)

(ii) योजना के अन्तर्गत अधिग्रहीत की जा रही संयंत्र और मशीनरी की कीमत क्रय मूल्य के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

(iii) इस योजना के अन्तर्गत राजसहायता उपर्युक्त दर्शाई गई सीमा से अधिक ऋण पर लागू नहीं होगी।

11. कार्यकारी पूँजी की आवश्यकता

चूँकि प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना की सफलता काफी हद तक पर्याप्त कार्यशील पूंजी की उपलब्धता पर निर्भर करती है अत: ऋणदाता संस्थान यह सुनिश्चित कर लेना चाहेंगे कि ऋणप्राप्तकर्ता इकाइयों ने कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पूरा करने के लिए पर्याप्त प्रबंध किए हों। वाणिज्यिक बैंकों को सहायता दी गई इकाइयों को पर्याप्त कार्यशील पूंजी समर्थन प्रदान करने में भी प्राथमिकता देनी चाहिए।

12. ऋणों के लिए अन्य शर्तें

(i) प्रमोटर का योगदान, प्रतिभूति, ऋण इक्विटी अनुपात, अपफ्रंट शुल्क इत्यादि ऋणदाता अभिकरण द्वारा इसे विद्यमान मानकों के अनुरूप निर्धारित किए जाएंगे।

(ii) सी एल सी एस एस के अन्तर्गत सब्सिडी प्राप्त करने वाली इकाई प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए केन्द्र/राज्य/संघ शासित सरकार से कोई अन्य सब्सिडी प्राप्त नहीं करेंगी।

(iii) तथापि पूर्वोत्तर क्षेत्र में इकाइयां, जो क्षेत्र में सरकार से वित्तीय प्रोत्साहन/सब्सिडी प्राप्त कर रही हैं, सी एल सी एस एस के अंतर्गत सब्सिडी के लिए पात्र होंगी।

(iv) उन्नयन कार्यक्रम चलाने हेतु संबंधित इकाई के लिए सक्षम प्रबंधन की उपलब्धता और इकाई के प्रचालन का दक्षतापूर्वक प्रबंधन प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना के अंतर्गत सहायता की संस्वीकृति हेतु मुख्य आवश्यकताओं में से एक होगी। इस प्रयोजन के लिए ऋणदाता अभिकरण आवश्यकतानुसार शर्तों के अनुबंध बना सकते हैं।

13. कार्यविधि स्वरूप

(i) सभी पात्र पी.एल.आई. (एन.एस.आई.सी.के अतिरिक्त) को योजना के अंतर्गत पूंजी सब्सिडी प्राप्त करने के लिए, इस का ध्यान किए बगैर कि उनके द्वारा पुनर्वित प्राप्त किया जा रहा है या नहीं, एक सामान्य समझौता प्रस्तुत करना होगा। तथापि यह स्पष्ट किया जाता है कि एन एस आई सी योजना के अंतर्गत एक अलग सामान्य समझौता प्रस्तुत करने के आधार पर पूंजी सब्सिडी प्राप्त कर सकता है।

(ii) सहायता की स्वीकृति के पश्चात्, पात्र प्राथमिक ऋणदाता संस्थान, भारत सरकार की ओर से संबंधित लघु उद्योग इकाई द्वारा प्रस्तुत समझौता प्राप्त करेगा। लघु उद्योग सहित पात्र पी एल एस द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले समझौते के मसौदे की एक प्रति अनुबंध-II पर प्रस्तुत की गई है।

(iii) सी एल सी एस एस के अंतर्गत सहायता के लिए पात्र पी एल आई निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त करेगा।

(iv) पात्र पी एल आई क्षेत्र में स्थित सिडबी अथवा नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय/शा० का० (जैसा कि मामला हो) को अपने मुख्यालय के माध्यम से जो केन्द्र कार्यालय का कार्य करेगा, के माध्यम से सब्सिडी के त्रैमासिक पूर्वानुमान प्रस्तुत करेगा। सब्सिडी पूर्वानुमान की सूचना प्रत्येक तिमाही की, अप्रैल-जून तिमाही के लिए 1 मार्च को अथवा उससे पूर्व, जुलाई-सितम्बर की तिमाही के लिए 1 जून को अथवा उससे पूर्व, अक्तूबर-दिसम्बर की तिमाही के लिए 1 सितम्बर को अथवा उससे पूर्व, जनवरी-मार्च की तिमाही के लिए 1 दिसम्बर को अथवा उससे पूर्व निर्धारित प्रारूप के अनुसार प्रस्तुत की जानी चाहिए।

(v) पात्र पी एल आई लाभार्थी इकाई के ऋण की प्रथम किस्त के साथ 50 प्रतिशत तक तथा अंतिम किस्त के साथ 50 प्रतिशत सब्सिडी राशि जारी करेगा।

(vi) पात्र पी एल आई लाभार्थी इकाइयों को सब्सिडी जारी किए जाने का ब्यौरा, पी एल आई के पास सब्सिडी जारी करने हेतु रखे गए अग्रिम धन की पुन:पूर्ति के लिए अनुरोध सहित, तिमाही आधार पर एक मार्च, एक जून, एक सितम्बर और एक दिसम्बर को प्रदान करेंगे तथापि सब्सिडी के लिए अग्रिम धन की पुन:पूर्ति का पी एल आई का अनुरोध सिडबी द्वारा लाभार्थी इकाईयों को जारी की गई सब्सिडी के पूरे ब्यौरे की प्राप्ति पर ही पूरा किया जाएगा।

(vii) पात्र पी एल आई पर योजना के अंतर्गत भारत सरकार

के निर्देशों की शर्तों के अनुरूप सब्सिडी की संस्वीकृति के लिए लघु उद्योग इकाइयों की पात्रता सुनिश्चित करने के लिए संवितरण तथा सहायता की गई इकाइयों के अनुवीक्षण का दायित्व होगा।

14. अन्य पैरामीटर्स

(i) सरकारी सहायता जिस उद्देश्य के लिए संस्वीकृत की गई है उससे अन्य किसी कार्य हेतु इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। पात्र पी एल आई को इस नियम का कठोरता पूर्वक पालन करना होगा और इसके किसी व्यतिक्रम की अनुमति नहीं होगी।

(ii) यदि किसी मामले में यह पाया जाए कि सरकार से पूंजीगत आर्थिक सहायता झूठी सूचना के आधार पर प्राप्त कर ली गई है, तो औद्योगिक इकाई प्राप्त की गई सरकारी पूंजीगत आर्थिक सहायता को संवितरण की तारीख से वापस करने की तारीख तक के ब्याज सहित वापस करने की हकदार होगी। ब्याज की दर इस पेनल कलाज़ के लागू करने के समय संबंधित पी.एल.आई की प्राइम लेंडिग रेट की होगी।

(iii) अत: पात्र पी.एल.आई. उपर्युक्त प्वाइन्ट (ii) के संबंध में अपने सिक्यूरिटी डाक्यूमेन्टस (प्रलेखों) में जिस में उन्होंने इकाई की प्रविष्टि की है, के संबंध में उपयुक्त शर्तें निहित करें, जोकि उन्हें ऐसे मामलों में विधिक प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक प्राधिकार प्रदान करेगी।

(iv) स्कीम के तहत क्रेडिट जोखिम संबंधित पी.एल.आई. को वहन करना होगा और ऐसी स्थिति में परियोजना के मूल्यांकन के समय उन्हें अपना वाणिज्यिक फैसला करना होगा। संबंधित पी.एल.आई. का क्रेडिट निर्णय अन्तिम होगा।

(v) सी.एल.सी.एस.एस. के तहत कवर किए जाने वाले प्रस्तावों के संबंध में सरकारी वित्तीय सहायता के लिए सिडबी को भारत सरकार से संस्वीकृति लेने की बाध्यता नहीं होगी।

(vi) सिडबी को संबंधित पी.एल.आई. की बुक्स (किताबों) को देखने का तथा ऋण लेखों को, चाहे उन्होंने स्कीम के तहत सिडबी से पुनर्वित्त प्राप्त किया है या नहीं, तथा समय-समय पर भारत सरकार द्वारा मांगी गई अपेक्षित सूचना प्राप्त करने हेतु, देखने का अधिकार होगा।

(vii) सिडबी इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि कोई भी लेखा समय-समय पर सी एफ सी एस एस के तहत नीतियों, प्रक्रिया तथा सिडबी/भारत सरकार द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी-सिद्धान्तों के अनुरूप नहीं है तो सिडबी को संबंधित पी एल आई से उनके द्वारा सहायता दी गई इकाईयों के संबंध में सरकारी पूंजीगत आर्थिक सहायता की सारी राशि वापस लेने का अधिकार होगा, चाहे संबंधित पी.एल.आई. ने अपनी इकाइयों से उक्त आर्थिक सहायता राशि वसूल कर ली हो या वसूल न कर ली हो।

15. स्कीम की मॉनीटरिंग

स्कीम की मोनीटरिंग गर्वनिंग एंड तकनॉलाजी एपरूवल बोर्ड (जी.टी.ए.बी.) द्वारा की जाएगी। सचिव (एस.एस. आई. एंड ए. आर. आई.) बोर्ड के अध्यक्ष होंगे तथा विकास आयुक्त (लघु उद्योग) इसके सदस्य-सचिव होंगे। जी.टी.ए.बी. स्कीम की कार्य प्रणाली की समीक्षा भी समय-समय पर करेगी। जी.टी.ए.बी. के तहत एक तकनीकीय उप समिति होगी जो नए उप सेक्टरों/उत्पादों तथा स्कीम के तहत सुस्थापित तथा सुधरी हुई प्रौद्योगिकीयों को सम्मिलित किए जाने पर विचार करेगी।

योजना में भाग लेने वाली पब्लिक लेंडिंग संस्थाएं:

1. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम
2. बैंक ऑफ बड़ौदा
3. कैनारा बैंक
4. सेण्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया
5. सिटी यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया
6. कर्नाटक बैंक लि.
7. स्टेट बैंक ऑफ मैसूर
8. यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया
9. तमिलनाडु मर्केनटाइल बैंक
10. पंजाब नेशनल बैंक
11. स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर
12. इण्डियन ओवरसीज बैंक
13. कॉर्पोरेशन बैंक
14. विजया बैंक
15. आन्ध्रा बैंक
16. तमिलनाडु इंडस्ट्रीयल एण्ड इंवेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लि.

भलीभांति स्थापित एवं सुधरी हुई प्रौद्योगिकी

क्र. सं.	कार्यकलाप	प्रौद्योगिकी आवश्यकता	लागत	लाभ
1.	फाउंड्री-फेरस एंड कॉस्ट आयरन	क) कोक फायरड् क्यूपोला का ऑयल फायरड् रोटरी फरनेस द्वारा प्रतिस्थापना। क्षमता 500 कि. ग्रा. बैच साइज़	37.40 लाख रू० (आयातित) देशी के लिए 3.00 लाख रू०	यह प्रमाणिक प्रौद्योगिकी है। प्रदूषण नियंत्रण। बेहतर गुणवत्ता उत्पाद। लागत प्रभावी (आयातित) रोटरी फरनेस के मामले में कंट्रोल बहुत श्रेष्ठ है
		ख) मोल्टेज मेटल कम्पोजिशन के आन-लाइन गुणवत्ता नियोजन के लिए मास स्पैक्ट्रोमीटर	15.25 लाख रु०	पिघलाने के दौरान आयॅरन एवं स्टील पदार्थ के कंपोजिशन पर बेहतर गुणवत्ता नियंत्रण।
2.	जूता उद्योग	कैड/कैम मशीन प्लॉटर कटर साफ्टवेयर	30. 00 लाख रू०	बेहतर डिजाइन/डिजाइन में लचीलापन।
3.	ग्लास उद्योग	कोयला आधारित ग्लास मेल्टिंग फर्नेस से प्राकृतिक गैस आधारित फर्नेस	परिवर्तन की लागत 4.25 लाख रू०	निम्न ईंधन लागत/कम प्रदूषण/ग्लास की बेहतर किस्म।
4.	रबड़ प्रोसेसिंग इंडस्ट्री	ओपन मिक्सिंग मिल सिस्टम से बेनबरी इंटरनल मिक्सर में परिवर्तन। मिक्सिग मिल्ज का प्रयोग फिलरज एवं कार्बन ब्लैक जैसे अन्य योगज सहित रबड़ को चर्वण करने के लिए किया जाता है। चूंकि मिक्सिग खुले वातावरण में की जाती है, रसायन और अन्य द्रव्यों का व्यापक रसाव होता है, जिसके कारण वायु प्रदूषण होता है, जो कामगारों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।	5 लाख रू० से 25 लाख रू०	बैनबरी में विसर्जन की डिगरी बहुत अच्छी है। उड़ती हुई हानि नगण्य है। आटोमेशन संभव है। कुशल श्रम की आवश्यकता नहीं है। प्रदूषण नगण्य है।
5.	बेसिक ड्रग्स एंड डाईज इंडस्ट्री	अपसारी उपचार प्रदूषण नियंत्रण मशीनरी, विशेष रूप से जल प्रदूषण, प्रक्रियाएं जो शामिल हैं, इक्वीलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन, फलोक्यूलेशन, सेडीमेंटेशन, स्लज क्लेक्षन और निपटान। कलस्टर के लिए सामान्य अपसारी उपचार योजना की सिफारिश की जाती है।	10.10 लाख रू० से 15.00 लाख रू०। सामान्य संयंत्र 3.00 करोड़ रू० से 4.00 करोड़।	फ्लूऐंट का जैव रासायनिक उपचार घुलनशील आर्गेनिक मैटर से वेस्ट का 90 से 95 प्रतिशत तक हटा देता है।
		ख) अस्पताल में प्रयोग हेतु नाइट्रोजन डाईआक्साइड गैस		नाइट्रोजन डाईक्साइड गैस की शुद्धता नियंत्रित करने हेतु।

क्र. सं.	कार्यकलाप	प्रौद्योगिकी आवश्यकता	लागत	लाभ
		एनैस्थीजिया के लिए प्रयोग होने वाली नाइट्रोजन डाईक्साइड गैस की शुद्धता हेतु ऑव लाइन गुणवत्ता नियंत्रण के लिए गैस क्रोमेटोग्राफ और आर्द्रता मीटर।		
6.	तात्विक तेल उद्योग बायो-टेक्नॉलाजी टिश्यू कल्चर	उत्कृष्ट पादप पदार्थों का टिश्यू कल्चर जिसमें फलदार पौधे, वनीय पौधे, तात्विक तेलों वाले पौधे, फलों वाले पौधे-सुंगधित कृषि।	संयंत्र की लागत 25.00 लाख रूपए। एक क्लस्टर में 10 प्रयोगशालाएं स्थापित किए जाने की आवश्यकता है।	फसल की किस्मों का विकास। उच्च उपज (10 गुनी) रोग तथा महामारी प्रतिरोधकता। खारेपन तथा अकाल की चरम स्थितियों के प्रति सुधरी हुई सहनशीलता।
7.	टाइलें	आर्द्रता चालक कक्ष	31 लाख रू०	परीक्षित प्रौद्योगिकी स्वदेश में विकसित। टाइलों की बेहतर गुणवत्ता। दरारों तथा व्हारपेज से मुक्त
8.	इलैक्ट्रॉनिक उद्योग साफ्टवेयर-सूचना प्रौद्योगिकी	इलैक्ट्रानिक सरकुलेटरी की रचना तथा विश्लेषण हेतु कैड तथा अनुकरण साफ्टवेयर उपकरण। साफ्टवेयर उपकरणों की आवश्यकता अभियांत्रिकी तथा उपकरणों के श्रमदक्षता के लिए भी होती है।	50,000 रू० से 5.00 लाख रू०	साफ्टवेयर तत्व बढ़ाने में सहायक। यथार्थ मशीन उत्पादन।
9.	इलैक्ट्रॉनिक उद्योग	समर्पित परीक्षण जिग्स	50,000 रू० से 5.00 लाख रू०	दीर्घावधि विश्वसनीयता, उत्पाद गुणवत्ता, बाधारहित तथा सुधरी हुई उत्पादकता।
10.	इलैक्ट्रॉनिक उद्योग	परीक्षण और मापन उपकरण जैसे पी सी/कंप्यूटर एसेसरीज़ सहित, आसिलोस्कोप, सिग्नल जेनरेटर, मल्टीमीटर, स्पेक्ट्रम विश्लेषण वोल्टमीटर इत्यादि।	50,000 रू० से 2 लाख रू०	प्रौद्योगिकी उन्नयन और इलैक्ट्रानिक तथा सूचना प्रौद्योगकी उद्योग में विकास के लिए परीक्षण तथा मापन महत्वपूर्ण हैं। -गुणवत्ता नियंत्रण -बेहतर निरीक्षण
11.	ट्रांसफारमर उद्योग	उचित संसेचक प्लांट का उपयोग, उचित वाइंडिंग मशीन का प्रयोग	50,000 रू० से 2.00 लाख रू० भारी कार्यक्षमता के लिए लागत 500 लाख रूपए	गुणवत्ता में सुधार तथा प्रणाली की विश्वसनीयता

क्र. सं.	कार्यकलाप	प्रौद्योगिकी आवश्यकता	लागत	लाभ
12.	वायर्स तथा केबल उद्योग	एक्ट्रजन प्रक्रिया से पूर्व कंपाउड में से नमी निकालना महत्वपूर्ण है और इसमें ताप नियंत्रक उपयुक्त मिक्सर उपकरणों की आवश्यकता होती है। कॉपर/एल्यूमीनियम चालकों पर पी वी सी कोटिंग करने के लिए एक्स्ट्रूडर्स प्रयोग होते हैं।	7 लाख रू० से 15 लाख रू०	नमी हटाना। गति तथा तापमान का उचित नियंत्रण। बेहतर पिगमेंटेशन व कलरेशन
13.	लैम्प और बल्ब सामान्य प्रकाश सेवा	वांशिग एंड ड्राईंग, माउटिंग ऑफ फिलामेंट वैक्यूम क्रीएशन, सोलडरिंग ऑफ आईलेट्स आदि।	3 लाख रू० से 5 लाख रू०	उत्पादकता, गुणवत्ता में सुधार करना तथा बेहतर उत्पादन। अच्छी किस्म की वैक्यूम मशीनों, बर्नरों, गैस फिलिंग आदि का यथासंभव प्रयोग करना। – उचित जांच एवं जिग्ज का प्रयोग करना।
14.	सामान्य इंजीनियरी बहुउद्देशीय प्रयोग–हस्त औजार, सर्जिकल उपकरण, बाइसिकल के पुर्जे, ऑटोपार्ट्स, मशीन टूल्ज प्रीसीजन मशीन पार्ट्स	सीएनसी वायरकट मशीन, ईडीएम सीएनसी लेथ, मिलिंग ड्रिलिंग मशीन आदि। क) साइकिल रिम : आटोमैटिक रिम प्रोफालिंग मशीन, मल्टी हैड सीम वैल्डिंग मशीन तथा अर्धस्वचालित फलैश वैल्डिंग मशीन	5 लाख रू० से 55 लाख रू० की सीमा के बीच	कार्यकुशलता लाभ में, अधिक बाजार स्वीकार्यता, दक्षता सुधार और बेहतर कार्य संचालन की स्थिति के परिणामों पर आधुनिकीकरण।
15.	स्टोन इंडस्ट्री (संगमरमर खनन उद्योग सहित)	ग्रेनाइट कटिंग, डायमंड वायरिंग, गेजिंग एंड डायमंड इम्पैरगनेटिड गैंग कटरज	55 लाख रू०	वेस्टेज, ब्रेकेज कम करना। उच्च उत्पादन, बेहतर डायमेंशन और उत्पाद, सुपर पालिश, निर्यात बाजार के लिए हाइ वैल्यू एडीशन्स
16.	कुशलता उन्नयनीकरण	कामगारों के लिए प्रशिक्षण सहायता। साफ्टवेयर संचालित प्रौद्योगिकी पूंजीगत लागत के रूप में मानी जाती है। (लेथ मशीन, कैड/केन्स)	4 करोड़ रू० से 5.00 करोड़ रू० तक	बेहतर प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करता है तथा कुशल मानव शक्ति की पूर्ति में सुधार करता है।

क्र. सं.	कार्यकलाप	प्रौद्योगिकी आवश्यकता	लागत	लाभ
17.	खिलौने: बोर्ड, गेम्ज बनाना, पहेलियां और शैक्षणिक खेल	हाथ से कार्य करने के स्थान पर पेपर का स्वचालित पेस्टिंग से पूरा बोर्ड गेम बनाने की ओर बदलाव। जहां तक मशीनरी के चुनाव का मामला है, इकाई लागत प्रभावी आधार पर स्वविवेक पर निर्णय ले सकती है।	15 लाख रू० से 20 लाख रू० (स्वदेशी मशीन के लिए)	सिद्ध प्रौद्योगिकी। उत्पाद गुणवत्ता, दृढ़ता, लागत–प्रभावात्मकता तथा उत्पादकता में वृद्धि।
18.	खाद्य संसाधन (आइसक्रीम भी शामिल है)	(क) अचार, सोस और चटनी। कन्वेयर, ब्लोअर, पम्प तथा एजिटेटर सहित फल व बोतलें धोने की मशीन फल व सब्जी काटने की मशीन स्टेनलैस स्टील की दोहरी दीवार वाली भाप की जैकेट वाली केतलियां (टिलटिंग टाइप) बायलर, पल्पर/क्रशर, स्टरिलाइजिंग टैंक/भभका मिक्सर सह ब्लेंडर, मसाला रोस्टर कम ग्रांइडर, भरने तथा सील करने की मशीन (क्राउन एंड कार्किंग मशीन) श्रिंक रैपिंग, स्ट्रैपिंग मशीन, प्रयोगशाला उपकरण, निस्सारी उपचार तंत्र	20 लाख रू०	सफाई तथा स्वास्थ्यकर स्थितियों, माइक्रो प्रदूषण, गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार
		(ख) मसाला उद्योग, क्रायोजैनिक ग्रांइडिंग, आटोमैटिक एफ एफ एस पैकेजिंग	20 लाख रूपए	संवेदी गुणों, उत्पादकता तथा साथ ही साथ उत्पाद की शैल्फ लाइफ।
		(ग) बेकरी उद्योग, अर्धयांत्रिकीकरण से यांत्रिकीकरण की ओर परिवर्तन। कोयले/लकड़ी से जलने वाले ओवन को तेल/विद्युत से जलने वाले ओवन से स्थानापन्न करना। गुणवत्ता परीक्षण उपकरणों का लगाना।	40 लाख रूपए	उत्पाद की गुणवत्ता तथा शैल्फ लाइफ बढ़ाता है तथा धुएं की समस्या कम करता है।
		(घ) काजू संसाधन उद्योग: बायलर, संपूर्ण उपकरणों सहित हीट एक्सचेंजर, पैकेजिंग मशीन, इलैक्ट्रिोनिक तुला	20 लाख रूपए	काजू के खोल का तरल पुन: प्राप्त करना, काजू की शैल्फ लाइफ बढ़ाना, कम प्रदूषण
		(ङ) रबर रोलर सह शैलर से (बिना पारबॉयलिंग तंत्र के) धान कूटना और पारबॉयरिलंग तंत्र के साथ आधुनिक राइस मिलिंग धान साफ करने वाला, पत्थर हटानेवाला, रबर रोलर–सह शैलर, धान अलग करने वाला, बॉयलर, पार बॉयलिंग तंत्र, ड्रायर, कलर सार्टर, कोन पॉलिशर,	90 लाख रू० से 100 लाख तक	बेहतर ढंग से पॉलिश किया गया, चावल की टूट फूट कम तथा अधिक प्राप्ति। तेल निकालने के लिए उपयुक्त चोकर, सुगन्धित/बासमती चावल के निर्यात के लिए उत्तम अवसर

क्र. सं.	कार्यकलाप	प्रौद्योगिकी आवश्यकता	लागत	लाभ
		गुणवत्ता नियंत्रण लैब तथा प्रदूषण नियंत्रण		
19.	कोरूगेटिड बाक्सिज	क) स्वचालित कॉरूगेटिड (लहरदार) बनाने का संयंत्र	3 प्लाई के लिए 35 लाख रुपए और 5 प्लाई के लिए 60 लाख रुपए	स्वचालित मशीन पर बिना किसी हस्तचालित सहायता के के 3-5 प्लाई बनाई जा सकती हैं 1 स्वचालित सुखाने की सुविधाएं, बोर्ड की उत्पादकता तथा गुणवत्ता में सुधार होता है।
		ख) थर्मिक फ्लूड बॉयलर या कृषि अवशेष के प्रयोग से स्टीम बॉयलर	सात लाख रुपए से 10 लाख रू०	रोल को पूरी लम्बाई में एकरूपता से गर्म करता है, अधिक ताप कुशल।
		ग) फ्लेक्सोग्राफिक प्रिंटिंग हेतु बहुरंगी फ्लेक्सोप्रिंटर स्लॉटर	75 लाख रुपये (आयातित)	छपाई का बड़ा आकार तथा छपी सामग्री को तीव्र गति से सुखाना
		घ) फोल्डर ग्लूअर-अर्धस्वचालित/स्वचालित	4 लाख रूपये से 10 लाख रुपये	जंगररित पेस्टिंग, खाद्य संसाधित उत्पादों की पैकेजिंग हेतु उपयुक्त।
		ङ) जल आधारित कोटिंग के लिए वेब आधारित कोटिंग मशीन	7 लाख रूपये	वेब आधारित कोटिंग पर्यावरण मित्र है, खाद्य स्तर का रीसायक्लेबल तथा जल आधारित होने के कारण आग के खतरे से मुक्त है।
		च) माइक्रो प्रोसेसर आधारित ब्रस्टिंग स्ट्रेंथ टेस्टर	2 लाख रूपये	बॉक्स की शक्ति जांचने के लिए उपकरण
		छ) माइक्रोप्रोसेसर आधारित कम्प्रैशन स्ट्रैंथ टैस्टर	3 लाख रूपये	बाक्स की कम्प्रैशन स्ट्रैंथ के लिए उपकरण।
		ज) माइक्रोप्रोसेसर आधारित क्रस्ट टैस्टर	1.75 लाख रूपये	बॉक्स की एजक्रश, फ्लैट क्रश तथा पिन एढेसन शक्ति जांचने हेतु
20.	प्लास्टिक से ढले/निकले हुए उत्पाद तथा हिस्से/अवयव	क)विद्यमान हस्तचालित/अर्धस्वचालित प्लास्टिक इंजैक्शन मोल्डिंग मशीनों की पूर्णतया स्वचालित माइक्रो प्रोसेसर नियंत्रित प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनों से प्रतिस्थापना।	10 लाख रूपये से 20 लाख रूपये	उत्पादन की ऊँची दर, लागत प्रभावी कोई बरबादी नहीं, बेहतर तथा स्थायी गुणवत्ता।
		ख) इन-हाउस टूल रूम के लिए सी एन सी मिलिंग मशीन	33 लाख रूपये	गुणवत्ता डाइज तथा मोल्डज के उत्पादन के लिए

*जब तक इकाई लघु उद्योग की सीमा में है संगमरमर खनन उद्योग में प्रौद्योगिकी उन्नयन के मामलों पर पी एल आई, को निर्णय लेना है।

सिडबी के साथ आम समझौता करने वाले पी एल आई की सूची (यथास्थिति)

क्र.सं.	पी एल आई के नाम	क्र.सं.	पी एल आई के नाम
1.	बैंक ऑफ बड़ौदा	16.	पंजाब एंड सिन्ध बैंक
2.	सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड	17.	भारत ओवरसीज बैंक लि.
3.	कर्नाटक बैंक लिमिटेड	18.	टी आई आई सी लि.
4.	पंजाब नैशनल बैंक	19.	यूपीएफ सी
5.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	20.	एच एफ सी
6.	तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लि.	21.	डब्ल्यू बी एफ सी
7.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	22.	जे एंड के एस एफ सी
8.	केनरा बैंक	23.	एन एस आई सी
9.	सैन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	24.	यूनाइटेड कमर्शियल बैंक
10.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	25.	बैंक ऑफ इंडिया
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	26.	करूर वैष्य बैंक लि.
12.	कारपोरेशन बैंक	27.	पी एफ सी
13.	विजया बैंक	28.	जी एस एफ सी
14.	आन्ध्रा बैंक	29.	ओ एस एफ सी
15.	बैंक ऑफ राजस्थान लि.	30.	एम एस एफ सी

लघु उद्योग इकाइयों के प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना के अधीन पात्र पी एल आई के रूप में अनुमोदित सहकारी बैंकों की सूची

1. हरियाणा राज्य सहकारी एपेक्स बैंक लि०, चंड़ीगढ़
2. उड़ीसा राज्य सहकारी बैंक लि०, भुवनेश्वर
3. पांडिचेरी राज्य सहकारी बैंक लि., पांडिचेरी
4. केरल राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि. थीरूवंतपुरम
5. पंजाब राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक लि., चंड़ीगढ़
6. इलुरू जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., इलुरू, आन्ध्र प्रदेश
7. धनबाद जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., धनबाद, बिहार
8. श्री राजकोट जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., राजकोट, गुजरात
9. पानीपत केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., पानीपत, हरियाणा
10. कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
11. बारामूला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., बारामूला, जम्मू और काश्मीर
12. कोडागु जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., मेदीकेरी, कर्नाटक
13. कन्नूर जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., कन्नूर, केरल
14. खरगोन जिला सहकारी बैंक मर्यादित, खरगोन, मध्य प्रदेश
15. सतारा जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., सतारा, महाराष्ट्र
16. कोरापुट केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., कोरापुट, उड़ीसा
17. नवाशहर जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., नवाशहर, पंजाब
18. सीकर जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., सीकर, राजस्थान
19. धर्मपुरी जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., धर्म पुरी, तमिलनाडु
20. मुजफ्फरनगर जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., मुजफ्फरनगर, उ. प्र.
21. विद्यासागर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., विद्यासागर, पं. बंगाल
22. कैथल पी सी ए आर डी बी लि., कैथल, हरियाणा
23. होनावर पी सी ए आर डी बी लि., होनावर, कर्नाटक
24. इरिन जलकुडा पी सी ए आर डी बी लि., इरिनजलकुडा, केरल
25. इंदौर जिला कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, मध्य प्रदेश
26. घन्नौर पी सी ए आर डी बी, घन्नौर, पंजाब
27. चितौड़गढ़ पी सी ए आर डी बी, चितौड़गढ़, राजस्थान
28. पेरूनदुराई पी सी ए आर डी बी, पेरूनदुराई, तमिलनाडु
29. घटल पी सी ए आर डी बी, घटल, पं. बंगला
30. कांगड़ा पी सी ए आर डी बी, कांगड़ा, हिमाचलप्रदेश
31. महमोदाबाद ब्रॉच ऑफ उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि., उ.प्र.
32. अमरेली जिला मध्य सहकारी बैंक मर्यादित, अमरेली, गुजरात
33. बीजापुर जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., बीजापुर, कर्नाटक
34. चन्नागिरी पी सी ए आर डी बी लि., चन्नागिरी, कर्नाटक

अनुबंध-II ख

लघु उद्योग इकाइयों के प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम के लिए पात्र पी एल आई के रूप में शामिल करने हेतु सिफारिश किए गए आर आर बीज की सूची।

क्र.सं.	आरआरबी का नाम	राज्य	प्रायोजक बैंक
1.	पिथौरागढ़ कृषि और ग्रामीण बैंक	उत्तर प्रदेश	भारतीय स्टेट बैंक
2.	जामनगर ग्रामीण बैंक	गुजरात	स्टेट बैंक ऑफ सोराष्ट्र
3.	मालवा ग्रामीण बैंक	पंजाब	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
4.	कृष्णा ग्रामीण बैंक	कर्नाटक	भारतीय स्टेट बैंक
5.	उत्तरी मालावार ग्रामीण बैंक	केरल	सिन्डीकेट बैंक
6.	दक्षिणी मालाबार ग्रामीण बैंक	केरल	केनरा बैंक
7.	श्री वेंकटेश्वरा ग्रामीण बैंक	आन्ध्र प्रदेश	इंडियन बैंक
8.	हिमाचल ग्रामीण बैंक	हिमाचल प्रदेश	पंजाब नैशनल बैंक
9.	चैतन्य ग्रामीण बैंक	आन्ध्र प्रदेश	आन्ध्रा बैंक
10.	जयपुर नागौर अंचल ग्रामीण बैंक	राजस्थान	यूको
11.	विदिशा भोपाल कृषि ग्रामीण बैंक	मध्य प्रदेश	भारतीय स्टेट बैंक
12.	अलकनंदा ग्रामीण बैंक	उत्तर प्रदेश	भारतीय स्टेट बैंक
13.	तुंगभद्रा ग्रामीण बैंक	कर्नाटक	केनरा बैंक
14.	पिनाकिनी ग्रामीण बैंक	आन्ध्र प्रदेश	सिंडीकेट बैंक
15.	हिसार सिरसा कृषि ग्रामीण बैंक	हरियाणा	पंजाब नैशनल बैंक
16.	नैनीताल अलमोड़ा कृषि ग्रामीण बैंक	उत्तर प्रदेश	बैंक ऑफ बड़ौदा
17.	गुरुदासपुरअमृतसर कृषि ग्रामीण बैंक	पंजाब	पंजाब नैशनल बैंक
18.	अधियमन ग्रामीण बैंक	तमिलनाडु	इंडियन बैंक
19.	शिवालिक कृषि ग्रामीण बैंक	पंजाब	पंजाब नैशनल बैंक
20.	गुडगांव ग्रामीण बैंक	हरियाणा	सिंडीकेट बैंक
21.	कच्छ ग्रामीण बैंक	गुजरात	देना बैंक
22.	मालाप्रभा ग्रामीण बैंक	कर्नाटक	सिंडीकेट बैंक
23.	वरदाग्रामीण बैंक	कर्नाटक	सिंडीकेट बैंक
24.	विदुर ग्रामीण बैंक	उत्तर प्रदेश	पंजाब नैशनल बैंक
25.	बीजापुर ग्रामीण बैंक	कर्नाटक	सिंडीकेट बैंक
26.	रायल सीमा ग्रामीण बैंक	आन्ध्र प्रदेश	सिंडीकेट बैंक
27.	श्री अनन्त ग्रामीण बैंक	आन्ध्र प्रदेश	सिंडीकेट बैंक
28.	कनकदुर्गा ग्रामीण बैंक	आन्ध्र प्रदेश	सिंडीकेट बैंक
29.	शहाजहानपुर कृषि ग्रामीण बैंक	उत्तर प्रदेश	बैंक ऑफ बड़ौदा
30.	मंजिरा ग्रामीण बैंक	आन्ध्र प्रदेश	भारतीय स्टेट बैंक
31.	पर्वतीय ग्रामीण बैंक	हिमाचल प्रदेश	भारतीय स्टेट बैंक

लघु उद्योग निर्यातकों के लिए बाजार विकास सहायता (एस.एस.आई. एम.डी.ए.) योजना

माननीय प्रधानमन्त्री द्वारा 30 अगस्त 2000 को लघु उद्योगों के संवर्धन और विकास के लिए तकनीकी मान्यता के सम्बन्ध में व्यापक नीति पैकेज के एक भाग के रूप में की गई घोषणा के अनुक्रम में :

(i) लघु उद्योग निर्यातकों को विदेशी बाजार की पकड़ और विकासशील विदेशी बाजारों के सम्बन्ध में उनके प्रयासों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, और

(ii) अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में, यदि सीडो की सहभागिता निर्यातकों के साथ जुड़कर काम करे तो निर्यात व्यवसाय में पर्याप्त वृद्धि हो सकती है।

भारत सरकार ने लघु उद्योग निर्यातकों (एस.एस.आई.-एम.डी.ए.) के लिए बाजार विकास सहायता के लिए प्लान स्कीम को स्वीकृति दे दी है। स्कीम 30 अगस्त, 2001 से कार्य कर रही है।

मौजूदा स्कीम

इस समय एक बाजार विकास सहायता स्कीम वाणिज्य मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित की जा रही है ताकि विदेशी बाजारों तक पहुँच और विकास के लिए निर्यातकों (लघु उद्योग निर्यातकों सहित) को उत्साहित किया जा सके। स्कीम के तहत अन्तर्राष्ट्रीय मेलों, व्यापार प्रतिनिधिमण्डलों, प्रचार आदि में भाग लेने के लिए निधीयन किया जाता है। व्यक्तिगत बिक्री मेलों/प्रदर्शनियों एवं प्रचार में भाग लेने के लिए लघु इकाइयों के लिए एम.डी.ए. के अधीन सीधी सहायता दी जाती है। लघु उद्योग उत्पादों की मार्केटिंग से सम्बन्धित वित्त पोषण गतिविधियों के लिए सीधी सहायता की एक योजना सिडबी प्रचालित कर रहा है।

विकास आयुक्त (लघु उद्योग) के कार्यालय के पास अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लेने के लिए एक मौजूदा योजना है, जिसके द्वारा लघु उद्योग उद्यमियों को विदेशों में अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में अपने उत्पाद प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस प्रयोजन के लिए सीडो प्रदर्शनी के लिए स्थान और प्रदर्शनीय वस्तुओं के नौभरण की व्यवस्था अपनी ओर से बिना किसी खर्चे के करता है।

प्रस्तावित योजना (स्कीम)

लघु उद्योगों के संवर्धन और विकास के लिए 30 और 31 अगस्त, 2000 को घोषित व्यापक नीति पैकेज के भाग के रूप में यह निर्णय किया गया था कि लघु उद्योग विकास संगठन के पास वाणिज्य मन्त्रालय के जैसी ही एक बाजार विकास सहायता (एम.डी.ए.) स्कीम होनी चाहिए। यह एक प्लान स्कीम होनी चाहिए।

उपरोक्त घोषणा और तथ्य की मान्यता के अनुक्रम में (i) लघु उद्योग निर्यातकों की विदेशी बाजार की पकड़ और विकासशील बाजारों में उनके प्रयासों को प्रोसाहित करने की आवश्यकता है और (ii) अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में वास्तविक निर्यातकों के साथ मिलकर की गई सीडो की भागीदारी से निर्यात व्यवसाय में पर्याप्त वृद्धि होगी। यह निर्णय किया गया है कि लघु उद्योग निर्यातक बाजार विकास सहायता (एस.एस.आई.-एम.डी.ए.) स्कीम के नाम से एक नई स्कीम चलाई जाए।

अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लेने के लिए मौजूदा सीडो स्कीम के अलावा चलाई जानेवाली स्कीम उन सभी गतिविधियों को शामिल करेगी जिनके लिए वाणिज्य मन्त्रालय की मौजूदा एम.डी.ए. स्कीम के अधीन सीधी सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त इस स्कीम के अन्तर्गत बाजार अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने और एण्टी डम्पिंग मामलों में शुरुआत/विवाद निपटाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी।

व्यक्तिगत सहायता

अनुमेय सीमा के भीतर आने-जाने के हवाई किराए की प्रतिपूर्ति द्वारा व्यक्तिगत निर्यातकों को सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रकार की सहायता प्राप्त करनेवाली स्थायी रूप से निर्यातक पंजीकृत लघु उद्योग इकाइयाँ एफ.आई.ई.ओ (फियो)/ई.पी.सी./लघु उद्योग एसोसिएशनों के माध्यम से विकास आयुक्त (लघु उद्योग) के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। अन्य पैरामीटर्स, जैसे सहायता के लिए योग्यता, वित्तीयन के लिए वांछित क्रियाकलाप, अनुमेय निर्धायन सीमा और अन्य शर्तें निम्न प्रकार हैं :

सहायता के लिए पात्र निर्यातक

(i) निर्यात इकाइयों को एस.एस.आई.(फियो)/एस.एस.एस.बी.ई. के रूप में पंजीकृत होना चाहिए।

(ii) निर्यातक इकाइयों को एफ.आई.ई.ओ./ई.पी.सी. का

सदस्य होना चाहिए।

(iii) पिछले तीन वित्तीय वर्षों में (आई.एस.ओ.-9000 प्रमाणित निर्यातकों के लिए 1 करोड़ रुपए) 2 करोड़ या उससे अधिक का निर्यात करनेवाली निर्यातक यूनिटें, ई.पी.सी./अन्य अनुदान ग्राही संगठनों के माध्यम से वाणिज्य मंत्रालय से सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। इस सीमा से कम औसत निर्यात वाली लघु उद्योग इकाइयाँ अब इस स्कीम के तहत विकास आयुक्त/लघु-उद्योग का कार्यालय से सीधी सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। ऐसी लघु उद्योग इकाइयाँ जिन्होंने अभी तक निर्यात शुरू नहीं किया है सहायता के लिए पात्र नही हैं।

(iv) एक निर्यातक इकाई लघु-उद्योग-बाजार विकास सहायता के तहत एक वित्तीय वर्ष में केवल एक बार सहायता के लिए पात्र होगी।

वित्तीयन के लिए अपेक्षित कार्यकलाप

(i) विदेशी मेलों/प्रदर्शनियों में व्यक्तिगत रूप से भाग लेना।

(ii) विदेश जाने वाले व्यावसायिक प्रतिनिधिमण्डल के सदस्य के रूप में व्यक्तिगत अध्ययन दौरा।

(iii) विदेशों में प्रचार।

अनुमेय निर्धायन सीमाएँ

(i) इकॉनॉमी क्लास से की गई यात्रा की वापसी टिकट का 90% बशर्ते ऊपरी सीमा 60,000 रुपए हो। (लैटिन अमरीकी देशों के लिए 90,000 रुपए)

(ii) प्रचार सामग्री उत्पादन की लागत का 25% और इसकी सीमा एक वित्तीय वर्ष में 15,000 रुपए है।

अन्य शर्तें

(i) यात्रा के लिए सहायता केवल एक स्थायी कर्मचारी/निदेशक/सहभागी/लघु उद्योग इकाई के स्वामी द्वारा एअर इण्डिया द्वारा इकॉनॉमी क्लास में यात्रा करने पर उपलब्ध होगी। एअर इंडिया के अलावा किसी अन्य एअर लाइन से हवाई यात्रा तभी अनुमेय होगी जबकि इकॉनॉमी क्लास का हवाई भाड़ा एअर इण्डिया के हवाई भाड़े से अधिक न हो।

(ii) आवेदन (फार्म-I) कार्यक्रम आरम्भ होने से कम से कम 1 महीना पहले विकास आयुक्त (लघु उद्योगों) के कार्यालय में पहुँच जाना चाहिए।

(iii) लघु उद्योग इकाई आयात-निर्यात नीति अथवा किसी अन्य आयात-निर्यात व्यवसाय के कानून के तहत आरोपी/अभियोजित/वर्जित/काली सूची युक्त नहीं होनी चाहिए।

(iv) एस.एस.आई.-एम.डी.ए. स्कीम के तहत कुल एम.डी.ए. सहायता में सभी सरकारी निकायों/एफ.आई.ई.ओ./ई.पी.सी./कमॉडिटी बोर्डों/अनुदानग्राही संगठनों आदि से प्राप्त एम.डी.ए. सहायता शामिल होगी।

प्रचार, विज्ञापन आदि के लिए

(i) सहायता के लिए आवेदन (फार्म-IV), प्रचार सामग्री के मुद्रण की तारीख से कम से कम 1 महीना पहले प्रस्तावित प्रचार सामग्री की एक डमी प्रति के साथ विकास आयुक्त (लघु उद्योग) के कार्यालय में पहुँच जाना चाहिए।

(ii) यदि मुद्रण कार्य शामिल है तो कम से कम तीन मुद्रकों से निविदाएँ मंगाई जानी चाहिए। तथापि अनुदान न्यूनतम निविदा वाले को ही दिया जाएगा, बशर्ते पूर्व निर्दिष्ट समस्त उच्चतम मूल्य हो। मुद्रण कार्य स्वदेशी रूप से ही किए जाने चाहिए।

(iii) लघु उद्योग इकाई आयात-निर्यात नीति अथवा किसी अन्य आयात-निर्यात व्यवसाय के कानून के तहत आरोपी/अभियोजित/वर्जित/काली सूची युक्त नहीं होनी चाहिए।

(iv) विदेशों में एक वित्तीय वर्ष में प्रचार के लिए एस.एस.आई.-एम.डी.ए. स्कीम के तहत कुल एम.डी.ए. सहायता में सभी सरकारी निकायों/ई.पी.सी./कमॉडिटी बोर्डों/प्राधिकरणों आदि से प्राप्त एम.डी.ए. सहायता शामिल होगी।

सहायता प्राप्त करने के लिए क्रियाविधि

(i) उपरोक्त अनुसार सहायता के लिए किया जानेवाला आवेदन विकास आयुक्त (लघु उद्योग) के कार्यालय में कम से कम 1 महीना पहले पहुँच जाना चाहिए। आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न होने चाहिए :

(क) संबंधित महाप्रबन्धक (डी.आई.सी.)/उद्योग निदेशक द्वारा जारी की गई लघु उद्योग पंजीकरण की प्रति।

(ख) एफ.आई.ई.ओ./ई.पी.सी. की सदस्यता का साक्ष्य

(ग) पिछले 3 वर्षों के औसत निर्यात की एफ.ओ.बी. मूल्य के सम्बन्ध में सी.ए. का प्रमाण पत्र।

(घ) एफ.आई.ई.ओ./संबंधित ई.पी.सी. से इस आशय का प्रमाण पत्र कि सम्बन्धित इकाई प्रश्नगत कार्यक्रम/क्रियाकलाप के लिए एफ.आई.ई.ओ./ई.पी.सी. से बाजार विकास सहायता प्राप्त नहीं कर रही है।

(ii) निर्धारित समयावधि में प्राप्त आवेदनों पर एस.एस.आई.-एम.डी.ए. समिति द्वारा विचार किया जाएगा। यदि मामला स्वीकृत हो जाता है तो निर्यातक इकाई को सिद्धान्त रूप में एक पत्र जारी किया जाएगा।

(iii) कार्यक्रम (इवेन्ट) समाप्त हो जाने के पश्चात निर्यातक इकाई को भुगतान के लिए निर्धारित फार्म (फार्म-II) में दावा प्रस्तुत करना होगा जिसके साथ निम्नलिखित संलग्न होने चाहिए :

(क) पूर्व-प्राप्त बिल (फार्म-III)

(ख) पासपोर्ट की फोटोप्रति जिससे भारत से जाने और भारत में पहुँचने तक देश/देशों जिनका दौरा किया है, के सम्बन्ध में इन्दराज दर्ज किए गए हों।

(ग) यात्रा के दौरान इस्तेमाल किए गए मूल हवाई टिकट। मूल हवाई टिकट खो जाने के मामले में, मूल की फोटोप्रति और एक प्रमाण पत्र जिसमें संबंधित एअर लाइन से की गई यात्रा का ब्यौरा हो, प्रस्तुत किया जाए।

(घ) क्रियाकलाप पूरा हो जाने पर भारत वापिस आने के 3 महीनों के भीतर दावा फार्म प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए।

प्रचार-प्रसार (फार्म-V) के बारे में दावा प्रस्तुत करने के मामले में प्रकाशन की एक प्रतिलिपि भुगतान के बिल और पूर्व-प्राप्ति बिल सहित प्रस्तुत की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, विक्रेता/प्रकाशन एजेन्सी से प्राप्त अदायगी की रसीद की प्रति भी अवश्य दाखिल की जानी चाहिए।

क्षेत्र-विशिष्ट बाजार अध्ययन

बाजार अध्ययन के संचालन के लिए वित्तीय सहायता उद्योग एसोसिएशनों/ई.पी.सी./एफ.आई.ई.ओ. के लिए उपलब्ध होगी। ये क्षेत्र विशिष्ट होने चाहिए और उन क्षेत्रों के बारे में होने चाहिए जहाँ लघु उद्योगों की महत्वपूर्ण विद्यमानता हो। इसमें एक विशिष्ट क्षेत्र पर विश्व व्यापार संगठन समझौतों का प्रभाव प्राप्त करने के लिए उद्योग एसोसिएशनों द्वारा शुरू किए गए अध्ययन शामिल होंगे। विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय भी इस स्कीम के अन्तर्गत स्वतन्त्र रूप में इस प्रकार के अध्ययन शुरू करेगा। कमीशन्ड अध्ययनों के लिए दी जाने वाली सहायता कुल मिलाकर 2 लाख रुपए प्रति अध्ययन के हिसाब में सीमित होगी।

डम्पिंग रोधी मामले

अर्थव्यवस्था के खुलने के साथ ही अनुचित व्यापार पद्धति स्पष्ट रूप से सामने आने लगी है। डम्पिंग जैसी अनुचित व्यापार पद्धति को प्रतिष्ठित न करने के लिए अधिक आधारभूत कार्य (ग्राउण्ड वर्क) की आवश्यकता है। इस डम्पिंग रोधी मामले को आरम्भ/प्रतियोगिता में लाने के लिए लघु उद्योग एसोसिएशनों को सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रकार की सहायता कुल लागत का 50% या 2 लाख रुपए जो भी कम हो, तक सीमित होगी।

बाजार सहायता/क्षेत्र अध्ययन और डंपिंग रोधी मामलों में किए गए प्रस्ताव स्वत:पूर्ण होने चाहिए और उनमें किए जाने वाले प्रस्तावित क्रियाकलाप प्रत्येक क्रियाकलाप के सम्बन्ध में लागत के विघटन, प्रस्तावित व्यवसायियों का स्वत:विवरण (बायो-डाटा) और पूरा करने के लिए अपेक्षित समयावधि का ब्यौरा शामिल होना चाहिए।

योजना का कार्यान्वयन

योजना का कार्यान्वयन विकास आयुक्त (लघु उद्योग) के कार्यालय के निर्यात संवर्धन और विपणन प्रभाग द्वारा किया जाएगा। आवेदन प्रपत्र इन मार्गनिर्देशों के साथ संलग्न हैं और सीडो की वैब साइट www.smallindustryindia.com. पर भी उपलब्ध होंगे। प्रत्येक वित्त वर्ष के आरम्भ में विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय, एन.एस.आई.सी., सिडबी और वाणिज्य मन्त्रालय के साथ एक संयुक्त बैठक करेगा ताकि यह सुनिश्चत किया जा सके कि योजना के कार्यान्वयन में निधीयन की पुनरावृत्ति अथवा अतिव्याप्ति (ओवरलैपिंग) नहीं होगी। लघु उद्योग बाजार विकास

सहायता समिति वर्ष के दौरान प्रकाश में लाए जाने वाले दबाव वाले (थ्रस्ट कमोडिटीज़) और दबाव वाले क्षेत्रों (थ्रस्ट रीज़न्स) को भी अभिनिर्धारित करेगी।

लघु उद्योग-बाजार विकास सहायता समिति

(एस.एस.आई.-एम.डी.ए. कमेटी)

प्रत्येक मेले/कार्यक्रम के बारे में प्राप्त हुए आवेदन पत्र लघु उद्योग-बाजार विकास सहायता समिति के सामने रखे जाएँगे जो कि मेला/कार्यक्रम शुरू होने से कम से कम 1 सप्ताह से 10 दिन पहले बैठक करेंगी। समिति की अध्यक्षता विकास आयुक्त (लघु उद्योग) द्वारा की जाएगी और यह अपने अन्य सदस्यों के रूप में एफ.आई.ई.ओ. के प्रतिनिधि, लघु उद्योग एवं कृषि और ग्रामीण उद्योग मन्त्रालय के साथ संलग्न आई.एफ.विंग के प्रतिनिधि, निदेशक (लघु बोर्ड और नीति) और विकास आयुक्त (लघु उद्योग) के कार्यालय में निदेशक (विश्व व्यापार संगठन) शामिल होंगे। विकास आयुक्त (लघु उद्योग) के कार्यालय में स्थित निदेशक (ई.पी. एण्ड एम.) सदस्य सचिव होंगे।

वर्तमान स्थिति

बाजार विकास सहायता योजना (एम.डी.ए. स्कीम) जो अगस्त, 2001 से लागू है, बार कोडिंग को अपनाने के लिए लघु उद्योग इकाइयों की वित्तीय सहायता के लिए एक प्रावधान शामिल करने के लिए संशोधन की गई है। तद्नुसार, योजना में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक बार दिए जानेवाले पंजीकरण शुल्क का 75% राशि का एक घटक जोड़ा गया है जिसका लघु उद्योगों ने मैसर्स ई.ए.एन. इण्डिया, वाणिज्य मन्त्रालय, भारत सरकार को बार-कोडिंग के अपनाने के लिए भुगतान किया है।

अत: अब योजनाओं में निम्नलिखित पेशकशें हैं :

(i) विदेशी मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए व्यक्तिगत सहायता।

(ii) विदेशी अध्ययन दौरे अथवा विदेश जानेवाले व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डलों के सदस्य के रूप में व्यक्तिगत सहायता।

(iii) विदेश में प्रचार के लिए प्रचार सामग्री का प्रकाशन।

(iv) उद्योग संघों/निर्यात संवर्धन परिषदों/भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ (फियो) द्वारा क्षेत्र विशेष बाजार अध्ययन।

(v) लघु उद्योग एसोसिएशनों द्वारा डम्पिंग विरोधी मामले शुरू करना / लड़ना।

(vi) लघु उद्योग इकाइयों द्वारा मै. ई.ए.एन. इण्डिया को बारकोडिंग हेतु दिए गए 75% पंजीकरण शुल्क की प्रतिपूर्ति।

यह योजना विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय के निर्यात संवर्धन और विपणन प्रभाग द्वारा क्रियान्वित की जाएगी और बार कोडिंग अपनाने के लिए सहायता सम्बन्धी संघटक 1 जनवरी, 2002 से प्रवृत्त है।

बार कोडिंग के पंजीकरण के लिए योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता के लिए मार्ग निर्देश नीचे दिए गए अनुसार हैं :

(i) बार कोडिंग के लिए पंजीकरण

लघु उद्योगों को बार कोडिंग/ई-कामर्स अनु-प्रयोगों में अनुपयुक्त अन्तर्राष्ट्रीय संख्या मानदण्ड अपनाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। बार कोडिंग अपनाने की दिशा में पहला कदम ई.ए.एन. नम्बर के लिए ई.ए.एन इण्डिया (वाणिज्य मन्त्रालय के अधीन) को आवेदन देना है ताकि उत्पाद पैकेज पर मुद्रित/लेबल लगे बार कोड के साथ विश्वव्यापी उपयोग के लिए अपने उत्पादों को सार्वभौम पहचान दिखलाई जा सके, तथापि केवल अमरीका और कनाडा को ही निर्यात करने वाले लघु उद्योगों को यू.जी.सी. नम्बर का प्रयोग करने की ही आवश्यकता होगी जो ई.ए.एन. इण्डिया के माध्यम से ही आवंटित किया जाएगा। यही यू.जी.सी. नम्बर यूरोपीय देशों को भी निर्यात के लिए वैध होगा। यदि कोई लघु उद्योग अमरीका और कनाडा के अतिरिक्त अन्य देशों को भी निर्यात करना चाहता है तो उन्हें केवल एक ई.ए.एन. कोड को इस्तेमाल करने की आवश्यकता होगी।

(ii) सहायता की मात्रा

ई.ए.एन. इण्डिया लघु उद्योग इकाई से एक बार का 15,000 रुपए (पन्द्रह हजार रुपए) और अति लघु इकाई से 10,000 रुपए (10 हजार रुपए) का पंजीकरण शुल्क वसूल करता है। योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता लघु उद्योग इकाई के लिए उपरोक्त राशि के 75% अर्थात 11,250 रुपए (ग्यारह हजार दो सौ पचास रुपए) और अति लघु

इकाई के लिए 7500 रुपए (सात हजार पाँच सौ रुपए) तक सीमित होगी। इसके अतिरिक्त ई.ए.एन. इण्डिया द्वारा प्रत्येक इकाई से वार्षिक नवीनीकरण शुल्क के रूप में 3000 रुपए (तीन हजार रुपए) वसूल किए जाते हैं। जनवरी, 2003 से उपरोक्त राशि लघु/अति लघु इकाइयों के लिए 15000/- रूपए होगी।

(iii) वित्तीय सहायता लेने की प्रक्रिया

स्थायी रूप से पंजीकृत लघु उद्योग/अति लघु उद्योग क्षेत्र की इकाइयों को योजना के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति उपलब्ध होगी। आवेदक इकाई ने ऐसी किसी अन्य योजना के माध्यम से किसी ऐसे औद्योगिक निकाय अथवा एसोसिएशन, जिसके साथ कम्पनी सहबद्ध हो, के माध्यम से इसी प्रयोजनार्थ कोई सब्सिडी/वित्तीय सहायता न ली हो।

वित्तीय सहायता लेने के लिए लघु उद्योग/अति लघु उद्योग क्षेत्र की इकाई का पहले ई.ए.एन. इण्डिया में अपना विशेष ई.ए.एन. अथवा यू.पी.सी. कम्पनी प्रिफिक्स आवंटित करने के लिए इसमें निर्दिष्ट आवश्यक दस्तावेजों और ऊपर किए भुगतान (लघु उद्योगों के मामले में 15,000 + 3,000 = 18,000 रुपए और लघु उद्योग क्षेत्र की इकाइयों के लिए 10,000 + 3000 = 13,000 रुपए) के साथ अपना पंजीकरण कराना चाहिए। एक जनवरी, 2003 से ई. ए.एन. इंडिया सभी इकाइयों से 20,000/- रूपए बार कोड अपनाने हेतु तथा 4000/- रूपए वार्षिक नवीनीकरण शुल्क लेता हैं।

ई.ए.एन. अथवा यू.जी.सी. नम्बर के आवंटन के बाद वर्तमान दिशा-निर्देश के अनुसार लघु उद्योग/अति लघु उद्योग क्षेत्र की इकाई विकास आयुक्त (लघु उद्योग) कार्यालय को प्रपत्र VI, जिसके साथ अनुबंध III में रसीद लगी हो, निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रस्तुति पर दिए गए एक बार के 75% पंजीकरण शुल्क की राशि (लघु उद्योगों के लिए 11,250 रुपए) और अति लघु क्षेत्रों की इकाई के लिए 7,500 रुपए) की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन कर सकती है।

- अनुबंध I और IV नोटरी द्वारा प्रमाणित एवं अनुबंध II द्वारा प्रस्तुत।
- ई.ए.एन. अथवा यू.पी.सी. कम्पनी प्रिफिक्स नम्बर के आवंटन के लिए ई.ए.एन. इण्डिया से प्राप्त आवंटन पत्र की सत्यापित प्रति।
- लघु उद्योग/अति लघु उद्योग क्षेत्र के स्थायी पंजीकरण प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
- ई.ए.एन इंडिया को भुगतान की गई रसीद।

जैसा कि इस योजना के अन्तर्गत उल्लेख है एक बार का पंजीकरण शुल्क और वार्षिक नवीनीकरण शुल्क ई.ए.एन. इण्डिया द्वारा निर्धारित मौजूदा शुल्क ढाँचा है, ई.ए.एन. इण्डिया द्वारा शुल्क के ढाँचे में कोई परिवर्तन करने की दशा में शुल्क का परिवर्तन ढाँचा लागू होगा। वित्तीय सहायता एक बार के पंजीकरण शुल्क का 75% ही रहेगी। ई.ए.एन इंडिया ने एक जनवरी, 2003 से इस बावत 24,000/- रुपए लेती है।

लघु उद्योगों के लिए एकीकृत ढाँचागत विकास योजना (आई.आई.डी. स्कीम)

लघु उद्योग विकास संगठन (सीडो), लघु उद्योग मन्त्रालय, भारत सरकार, देश में लघु उद्योगों के उन्नति के लिए कई प्रकार की संवर्धन योजनाएँ संचालित कर रहा है। इसी क्रम में 6 अगस्त, 1991 को घोषित लघु, अति लघु व ग्रामीण उद्यमों के संवर्धन व मजबूती के लिए बने नीति उपायों के अनुरूप 7 मार्च, 1994 को एकीकृत ढाँचागत विकास योजना का आरम्भ किया गया। ग्रामीण/पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के लिए स्थल उपलब्ध कराने की यह एक महत्वपूर्ण विकास योजना है। योजना को इस प्रकार तैयार किया गया है जिससे रोजगार के अवसरों का सृजन हो तथा कृषि व उद्योग के बीच कड़ी विकसित हो।

इस योजना के अधीन सृजित 50% औद्योगिक प्लॉट अति लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित किए जाएँगे। आई.आई.डी. स्कीम ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 50% आरक्षण के साथ उत्तरोत्तर देश के सभी क्षेत्रों को कवर करेगी।

उद्देश्य

आई.आई.डी. योजना का उद्देश्य है—लघु व अति लघु उद्योग इकाइयों के समूहों का विकास करना, जिससे रोजगार के अवसर पैदा हों और निर्यात बढ़े। आई.आई.डी. केन्द्र सामान्य सेवा-सुविधाएँ व तकनीकी सहयोग सेवाएँ प्रदान करता है। नए मौजूदा केन्द्रों/औद्योगिक क्षेत्रों में ढाँचागत सुविधाओं जैसे बिजली, पानी, दूरसंचार, जल निकास, प्रदूषण नियन्त्रण, अपशिष्ट-निपटान प्रणाली, सड़कें, बैंक, कच्चा माल डिपो, भण्डारण व विपणन आदि को उपलब्ध कराने या इन सुविधाओं का स्तर ऊँचा उठाने पर इस योजना का विशेष बल है।

राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों की भूमिका

इस योजना के तहत राज्य या संघ शासित क्षेत्र की सरकारों को ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में लगभग 15 से 20 हेक्टेयर के ऐसे स्थल का चयन करना पड़ता है, जिस पर लघु उद्योग स्थापित किए जा सकें। इसके लिए उन्हें प्रस्ताव बनाकर तथा परियोजना रिपोर्ट तैयार कर उसे तकनीकी आर्थिक आकलन के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के पास भेजना पड़ता है।

क्रियान्वयन एजेन्सियाँ

राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारें जिन्हें परियोजना प्रस्तावों के साथ निचले तल (ग्राउण्ड लेबल) पर परियोजना के कार्यान्वयन का कार्य सौंपा जाएगा उत्कृष्ट पृष्ठभूमि वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमित निकायों अथवा बैलेंसशीट से प्रमाणित अच्छी वित्तीय स्थिति वाले गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) द्वारा आई.आई.डी. योजना के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं। परियोजना के लिए स्वीकृत केन्द्रीय निधियाँ और अन्य निधियाँ कार्यान्वयन एजेन्सियाँ के निर्णय पर रहेंगे जो समय-समय पर इस सम्बन्ध में अपेक्षित उपयोगिता प्रमाणपत्र केन्द्र सरकार (सीडो) के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

वित्तीय ढाँचा

आई.आई.डी. योजना केन्द्रीय क्षेत्र की एक ऐसी योजना है, जिससे केन्द्र सरकार और सिडबी प्रत्येक आई.आई.डी. केन्द्र की 2 : 3 के अनुपात से 5 करोड़ रुपए का योगदान देती है। 5 करोड़ रुपए से अधिक की लागत राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है, जो अनुमानित 5 करोड़ रुपए की लागत में शामिल नहीं है। पूर्वोत्तर क्षेत्र सिक्किम, जम्मू और काश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल के लिए वित्तीय ढाँचा का अनुपात 4:1 रखा गया है। पूरी योजना में केन्द्र सरकार अपना हिस्सा अनुदान के रूप में देती है, जबकि सिडबी का हिस्सा सावधि ऋण के रूप में होता है। क्रियान्वयन एजेन्सी के सामने यह विकल्प है कि वह सिडबी से ऋण के बदले अपनी पूँजी लगाए और केन्द्र सरकार से अधिकृत मेलक (मैचिंग) अग्रिम प्राप्त करें।

प्रक्रिया

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) सर्वप्रथम परियोजना रिपोर्ट का तकनीकी आर्थिक आकलन करता है और तत्पश्चात आकलित परियोजना को भारत सरकार की औपचारिक स्वीकृति के लिए विकास आयुक्त (लघु उद्योग) के कार्यालय में भेजता है। इसके पश्चात सचिव (लघु उद्योग) की अध्यक्षता में एक उच्च-प्राधिकार प्राप्त समिति सिडबी द्वारा अनुशासित परियोजनाओं का अनुमोदन करती है।

मानीटरिंग

केन्द्रीय स्तर पर सीडो, आई.आई.डी. परियोजनाओं की प्रगति के पर्यवेक्षण और समन्वय के लिए एक शीर्ष निकाय

है। केन्द्रीय स्तर पर भारत सरकार के सचिव (लघु उद्योग, कृषि व ग्रामीण उद्योग) की अध्यक्षता में गठित एक उच्च प्राधिकार प्राप्त समिति सिडबी द्वारा अनुशासित परियोजनाओं का अनुमोदन करती है। आई.आई.डी. परियोजनाओं की प्रगति के पर्यवेक्षण और समन्वय के लिए विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय शीर्ष निकाय है। इसके अतिरिक्त, परियोजना पूरी हो जाने तक कार्यान्वयन एजेन्सियों से अपेक्षा की जाती है कि वे त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट सीडो और अन्य संस्थाओं के पास प्रस्तुत करें।

प्रौद्योगिकी समर्थन

आई.आई.डी. केन्द्रों में प्रौद्योगिकी समर्थन एस. आई. एस. आई., राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एन.एस.आई. सी.), अनुसन्धान केन्द्रों आदि द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। तथापि वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए आम सेवा सुविधाएँ उद्योग संघों द्वारा उपलब्ध कराई जा सकती हैं।

प्रगति

इस योजना के अन्तर्गत मार्च, 2003 तक 72 आई.आई.डी. केन्द्रों का अनुमोदन हो चुका है जिनमें से स्थल के अधिग्रहण में विभिन्न प्रकार की बाधाओं की वजह से राज्य सरकारों के अनुरोध पर 10 केन्द्रों की परियोजनाओं को छोड़ दिया गया है। शेष 62 केन्द्र क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

अनुमोदित आई.आई.डी. केन्द्रों की राज्यवार सूची

राज्य	जिला	संख्या
आन्ध्र प्रदेश	कुर्नूल, रंगारेड्डी, नेल्लोर, वारंगल, चित्तूर, कृष्णा	6
असम	दारंग, नागांव, कछार, सिबसागर	4
गुजरात	जूनागढ़, बनास कांठा	2
हरियाणा	सिरसा, यमुनानगर	2
हिमाचल प्रदेश	बिलासपुर	1
जम्मू व कश्मीर	ऊधमपुर	1
कर्नाटक	बेलगाँव, बीजापुर, कोलार, बागलकोट	4
केरल	त्रिवेन्द्रम, कन्नूर, मालाप्पुरम, एर्नाकुलम, वायानाद, कासरगोड, त्रिचूर, पाथानानथिट्टा	8
महाराष्ट्र	यवतमाल	1
मध्यप्रदेश	सतना, मन्दसौर, खारगोन, कटनी, सागर	5
मणिपुर	चन्देल	1
मिजोरम	लुंगलई	1
उड़ीसा	खुर्दा, रायागढ़, जगतसिंहपुर	3
पंजाब	होशियारपुर, मुक्तसर, कपूरथला, मनसा, लुधियाना	5
राजस्थान	जोधपुर, नागौर, टोंक, उदयपुर	4
तमिलनाडु	मदुरै, कोयम्बटूर, थिरुमुदिवक्कम (कांचीपुरम), कट्टूर (अवाडी), चेन्नई एम.जी.आर., थिरुवेल्लोर (विच्चूर)	5
उत्तर प्रदेश	चंदौली, एटा, बाराबंकी, बागपत, गाजियाबाद, मथुरा, उन्नाव, भदोही	8
पाण्डिचेरी	सादरपेट	1

आधारभूत प्रौद्योगिकी उन्नयन एवं प्रबंध कार्यक्रम-अपटेक

1. शीर्षक

इस योजना का नाम आधारभूत प्रौद्योगिकी उन्नयन एवं प्रबंध कार्यक्रम (अपटैक) योजना है।

2. उद्देश्य

लघु उद्योग देश के औद्योगिक उत्पादन में विशिष्ट रूप से सहयोग करते हैं। ये पारंपरिक से लेकर अत्याधुनिक तक उत्पादन की विभिन्न किस्मों का उत्पादन करते हैं। चूंकि, लघु उद्योग के उत्पादन की मात्रा काफी अधिक है, अत: उत्पाद की गुणवत्ता, उत्पादकता, ऊर्जा एवं पर्यावरणीय मुद्दे सदैव से ही चिंता का विषय रहे हैं। यह चिंताएं खुली अर्थव्यवस्था, जहां उत्पादकता और गुणवत्ता लघु उद्योगों की उत्तरजीविता में मुख्य भूमिका निभाते हैं, होने के साथ ही बढ़ गई हैं। विकास आयुक्त (लघु उद्योग) के कार्यालय ने 1998 में, आधारभूत प्रौद्योगिकी उन्नयन एवं प्रबंध कार्यक्रम (अपटेक) नाम से एक योजना आरंभ की है। यह योजना उद्योगों के उस किसी भी समूह पर लागू होती हे, जहां समूह की इकाइयों के बीच उत्पादन की प्रविधि, गुणवत्ता नियंत्रण और परीक्षण, ऊर्जा संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण आदि में समानता है। योजना का उद्देश्य समूह की आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखना है। यह योजना प्रौद्योगिकी उन्नयन, उत्पादकता में सुधार, ऊर्जा संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, उत्पाद विविधीकरण और प्रशिक्षण आवश्यकताओं आदि से संबंधि मुद्दों की व्यापक शृंखला को कवर करती है।

3. योजना का कार्यक्षेत्र

1. योजना विशेष रूप से उद्योगों के समूह के लिए है।
2. पहचान किए गए समूहों की प्रौद्योगिकीय स्थिति और आवश्यकता अध्ययन पूरा करना।
3. इन स्थिति और आवश्यकता अध्ययनों के आधार पर उचित प्रौद्योगिकी और उनके प्रदानकत्ताओं का पता लगाना एवं पहचान करना।
4. प्रयोक्ता की विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए उपलब्ध प्रौद्योगिकी को अपनाने हेतु संविदा/आवश्यकता आधारित अनुसंधान, यदि कोई अपेक्षित हो, की सुविधा प्रदान करना।
5. लघु उद्यमियों के लक्ष्य समूहों के लिए प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन की सुविधा प्रदान करना एवं संवर्धन करना।
6. निर्माता से प्राप्तकर्त्ता प्रयोक्ता तक प्रौद्योगिकी पहुंचाने को बढ़ावा देना एवं सुविधा प्रदान करना।
7. लघु उद्यमियों के समूहों के बीच पहचान की गई प्रौद्योगिकी का प्रसार, समावेशन एवं संवर्धन करना।

4. अपटेक स्कीम के तहत लिए गए कलस्टरों की सूची :

आपटेक स्कीम के तहत लिए गए कलस्टरों की सूची इस प्रकार है (1.7.03 को यथास्थिति)

1. वेस्ट कोस्ट, केरल सहित टाईल उद्योग कलस्टर।
2. लुधियाना और जालन्धर में फोर्जिंग इंडस्ट्री कलस्टर।
3. हैदराबाद और मेढ़क जिला (आ. प्र.) में बल्क ड्रग और फार्मूलेशन इण्डस्ट्री।
4. चित्तूर, आन्ध्रप्रदेश में फ्रूट प्रोसेसिंग इण्डस्ट्री कलस्टर।
5. हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश) में फाउण्ड्री इण्डस्ट्री कलस्टर।
6. खुर्जा (उ.प्र.) में पॉटरी इण्डस्ट्री कलस्टर।
7. गुजरात में विशेष तेलों और विलायकों के विनिर्माण के लिए हाइड्रोजेनेशन प्रोसेस पर ट्रायल।
8. कन्नौज में नीम और इत्रसाजी इण्डस्ट्री।
9. भारतीय खिलौना उद्योग के विास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम।
10. इण्डियन स्टोन इण्डस्ट्री के विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम।
11. इडियन लॉक इण्डस्ट्री के विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम।
12. इंडियन मशीन टूल्स इण्डस्ट्री के विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम।

13-17 हर्बल और एयरोमेटिक्स प्लांट्स के आधार पर क्लस्टर विकास, झालावाड़ (नीम) और धोलपुर, (वेटीवर) राजस्थान में, बदाउन (मिन्ट) और भोवाली

(जिरेनियम) यू.पी. में और गनजम (केवड़ा) उड़ीसा में।

18. चैन्नई में ऑटो कम्पोनेन्टस डवलपमेंट प्रोग्राम।

19. कोट्टायाम में रबड़ कलस्टर डवलपमेंट प्रोग्राम।

20. हैंड टूल एस.एस.आई. सैक्टर में ऊर्जा दक्षता सम्वर्धन हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम।

21. राजकोट में डीजल पंप और इंजीनियरी क्क्लस्टर का विकास।

22-23. परेब, पटना (बिहार) और केंजेकुरा, बाकुरा (पं. बंगाल) में पीतल और कांसा धातु बर्तन कलस्टरों का विकास ।

24. मुंगेर (बिहार) में गन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्लस्टर का विकास।

25. राना घाट, जिला नदिया (पं. बंगाल) में जवाहरात उद्योग कलस्टर का विकास।

26. फिरोजपुर ग्लास इंडस्ट्री क्लस्टर में यूनिडो के सहयोग से प्रौद्योगिकी उन्नयन और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन उपशमन परियोजना।

27. लघु क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता संवर्धन हेतु विकास आयुक्त (लघु उद्योग), ईनर्जी एफिसिएंसी ब्यूरो/यूनिडो का संयुक्त प्रस्ताव।

5. परियोजना लागत

नौंवीं योजना के तहत स्कीम की वित्तीय लागत 17.74 करोड़ रुपये की थी। वर्षं 2002-03 और वर्ष 2003-2004 के लिए बजट अनुमान में 4.45 करोड़ रुपये आबंटित हैं जिसमें 0.45 करोड़ रुपये पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए तथा 4.25 करोड़ रुपये + 0.8 करोड़ रुपये एन.ई. क्षेत्र के लिए सम्मिलित हैं।

6. नोडल अभिकरण

विकास आयुक्त (ल.उ.) का कार्यालय एक नोडल अभिकरण के रूप में कार्य करेगा।

7. वित्तीय सहायता का प्रयोजन

i) कलस्टर हेतु नैदानिक अध्ययन आयोजित करना।

ii) यदि आवश्यकता हो, तो उद्योगों से संबंधित आर. एंड डी का कार्यान्वयन।

iii) न्यू तकनॉलाजी डिमोन्सट्रेशन प्लांट की स्थापना।

iv) यदि आवश्यक हो, तो सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना।

v) उपभोक्ताओं को प्रशिक्षण।

vi) कलस्टर के उद्योगों के बीच शीघ्र प्रौद्योगिकी प्रदान करने के लिए संगोष्ठी, कार्यशालाएं तथा अध्ययन दौरे करना।

8. वित्तीय सहायता राशि

वित्तीय सहायता राशि नियत नहीं है परन्तु यह हर परियोजना के लिए भिन्न-भिन्न है, जिसका निर्णय संचालन समिति द्वारा किया जाता है।

डिमान्सट्रेशन प्लॉट की स्थापना के लिए प्रमुख इकाई को इसकी लागत का 50% वहन करना होगा।

9. वित्तीय सहायता के लिए संस्वीकृति प्रक्रिया

लघु उद्योगों के कलस्टर के प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा आधुनिकीकरण संबंधी प्रस्ताव विशेषज्ञ अभिकरणों से प्राप्त होते हैं। प्रस्ताव अंतरिम मात्रिक शर्तानुसार नियोजन, कार्यक्रम, निष्पादन, मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन से युक्त होना चाहिए। उपलब्ध रिपोर्ट, अनुभव, स्थिति-नोट्स इत्यादि के आधार पर कलस्टर्स का पता लगाया जाता है और उन्हें प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए लिया जाता है। संचालन समिति, सचिव (ल.उ. तथा कृ.ग्रा.उ.) की अध्यक्षता में प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करती है। इन कलस्टरों में जहां मौजूदा प्रौद्योगिकी स्थिति सूचना तथा प्रौद्योगिकी सूचना की और जानकारी की आवश्यकता पायी जाएगी, व्यापक नैदानिक अध्ययन किया जाएगा। तथा निष्कर्षों पर संबंधित एसोसिएसन के साथ विचार-विमर्श किया जाएगा। तद्नुसार नैदानिक अध्ययन के आधार पर सुझाए गए उपायों के प्रदर्शन के लिए प्रमुख इकाई का चयन किया जाएगा। प्रदर्शन का प्रभाव कलस्टर की अन्य इकाइयों के लिए भी है ताकि अन्य इकाइयां भी सुझायी गयी तकनीकी जानकारी को अपना सके। प्रमुख इकाई को हार्डवेयर लागत का 50% वहन करना होगा। प्राप्त जानकारी में अच्छी जागरूकता बनाने की दृष्टि से संगोष्ठियां, कार्यशालाएं, जागरूकता कार्यक्रम तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। यदि आवश्यक हो तो सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना भी की जाती है ताकि लघु उद्योगों को इसका

लाभ प्राप्त हो सके।

वित्तीय सहायता राशि का निर्णय समिति द्वारा प्रति मामला के आधार पर किया जाता है।

10. योजना निगरानी

योजना को कार्यान्वयन समिति द्वारा मोनीटर किया जाता है। अपर विकास आयुक्त (ल.उ.) समिति के अध्यक्ष हैं। समिति के अन्य सदस्य हैं : निदेशक, (आई. एफ स्कन्ध) तथा एन.आर.डी.सी., राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, सिडबी, विकास आयुक्त (लघु उद्योग) के प्रतिनिधि तथा कार्यान्वयन में नियुक्त अभिकरण के प्रमुख।

11. किस से सम्पर्क किया जाए

अपटेक के संबंध में स्पष्टीकरण तथा और अधिक जानकारी एवं प्रस्ताव के प्रस्तुतीकरण हेतु निम्नोक्त से सम्पर्क किया जा सकता है।

श्री अमीर सुभानी, संयुक्त विकास आयुक्त (प्रौद्योगिकी प्रबन्धन)
विकास आयुक्त (ल. उ.) का कार्यालय
7वां तल, निर्माण भवन,
नई दिल्ली–110011
दूरभाष संख्या : 23010091
फैक्स : 23010430

यूनिडो से सहायता प्राप्त कार्यक्रम

(क) खिलौना उद्योग के विकास हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम

यह कार्यक्रम यूनिडो के सहयोग से विकास आयुक्त (लघु उद्योग) के कार्यालय द्वारा सिडबी, भारतीय खिलौना संघ, ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डवलपमेंट अथारिटी की सहायता से समन्वित किया जा रहा है।

कार्यक्रम के उद्देश्य हैं—

(i) खिलौना उद्योग द्वारा विद्यमान में उपयोग में लाई जानेवाली प्रक्रिया तथा प्रौद्योगिकी को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचाने हेतु प्रौद्योगिकी उन्नयन।

(iii) ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में एक खिलौना अभिकल्प तथा विकास संस्था (टी डी डी आई) की स्थापना। तकनीकी जानकारी प्राप्त करने, परीक्षण तथा प्रमाणन सुविधाएँ तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के सम्बन्ध में जानकारी देने के लिए टी डी डी आई एक सामान्य सुविधा का कार्य करेगी।

(iii) अन्तर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय मेलों में भाग लेकर तथा विक्रेता विकास कार्यक्रम चलाकर एक विपणन नेटवर्क स्थापित करना।

वर्तमान स्थिति—

(i) यह परियोजना लघु उद्योग, कृषि एवं ग्रामीण उद्योग राज्य मन्त्री द्वारा 21 सितम्बर, 2000 को आरम्भ की गई।

(ii) यूनिडो के साथ परियोजना दस्तावेज तथा ट्रस्ट फण्ड अनुबन्ध पर जुलाई 2000 को हस्ताक्षर किए गए।

(iii) राष्ट्रीय अभिकल्प संस्थान, अहमदाबाद तथा नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फैशन टेक्नालाजी, नई दिल्ली, मुंबई और दिल्ली में खिलौना उद्योग के साथ आवश्यक डिजाइन इनपुट उपलब्ध करा रहे हैं।

(iv) विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय, आई सी ए एम टी तथा टी ए आई के कार्यालयों से एक प्रतिनिधिमण्डल ने अपर सचिव एवं विकास आयुक्त (लघु उद्योग) महोदय की अध्यक्षता में नवम्बर 2000 में स्पेन का दौरा किया जहाँ टी डी डी आई की स्थापना हेतु आवश्यक परामर्श के लिए ए आई जे यू स्पेन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। टी डी डी आई में सुविधाएँ सृजित करने के सम्बन्ध में, स्पेन के प्रतिनिध मण्डल ने दिल्ली तथा मुम्बई के विभिन्न खिलौना उद्योगों का दौरा किया। स्पेन से इस संदर्भ में रिपोर्ट प्राप्त हो गई है।

(v) दिल्ली क्षेत्र की खिलौना इकाइयों को सहायता देने के लिए लघु उद्योग सेवा संस्थान, नई दिल्ली में केड/केम सुविधाएँ सृजित की गईं।

(vi) टी डी डी आई की स्थापना करने के लिए ग्रेटर नोएडा अथारिटी ने एक भूखण्ड 18,144.39 वर्ग मी. का आबंटित किया है, जिसका पंजीकरण हो गया है तथा भूमि की भौतिक अधिप्राप्ति हो गई है।

(vii) भारतीय मानक : 9873 के अनुसार खिलौनों के परीक्षण हेतु परीक्षण सुविधाएँ भाग I, II तथा III की क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्र नई दिल्ली तथा मुम्बई में स्थापना कर दी गई है।

(viii) सी ई प्रमाणन पर जागरूकता कार्यक्रम नई दिल्ली तथा मुम्बई में क्रमश: 15.1.2002 तथा 25.2.2002 को आयोजित किया गया।

(ix) खिलौनों की प्रौद्योगिकी तथा सुरक्षा आवश्यकताओं पर प्रदर्शित कार्यक्रम दिल्ली तथा मुम्बई में मई 2001 को आयोजित किए गए।

(x) खिलौना उद्योग से लघु उद्यमियों ने न्यू योर्क खिलौना मेले में 2001 और 2002 में भाग लिया।

(xi) टॉय बिज 2002 (खिलौना मेला) का आयोजन दिल्ली में जुलाई 2002 में और टॉय बिज 2003 मुंबई में मार्च 2003 में हुआ।

(xii) खिलौनों में प्लास्टिक प्रोसेसिंग पर कार्यशाला आर टी सी दिल्ली द्वारा अक्तूबर 2002 में की गई।

(xiii) इण्डियन इंस्टिट्यूट ऑऊ पैकेजिंग द्वारा दिल्ली और मुंबई के खिलौना उद्योग की पैकेजिंग संबंधी जरूरतों का अध्ययन किया गया।

(xiv) खिलौने में बौद्धिक सम्पदा अधिकार पर दिल्ली और मुंबई में मई 2003, में कार्यशाला आयोजित की गई।

(ख) भारतीय स्टोन उद्योग के विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम

यह कार्यक्रम पत्थर विकास केन्द्र (सी डी ओ एस), जयपुर की सहायता से, यूनिडो के सहयोग से विकास आयुक्त (लघु उद्योग) के कार्यालय द्वारा समन्वित किया जा रहा है।

कार्यक्रम के उद्देश्य हैं—

(i) पत्थर उद्योग का प्रौद्योगिकी उन्नयन जिसमें आयामी पत्थर मदों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बाजार का विकास शामिल है।

(ii) आयामी पत्थर उद्योग के लिए राष्ट्रीय केन्द्र का विकास जिसमें परीक्षण, प्रमाणन तथा मानव संसाधन विकास की सुविधाएँ हों।

(iii) पर्यावरणीय प्रदूषण कम करने तथा कामगारों के स्वास्थ्य स्तर में सुधार करने के लिए पत्थरों के उत्खनन हेतु अत्याधुनिक खनन प्रौद्योगिकी का विकास करना।

अब तक आरंभ किए गए क्रियाकलाप

(1) परियोजना के कार्यान्वयन के लिए सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑऊ स्टोन्स (सी डी ओ एस) जयपुर, (राजस्थान सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त अभिकरण-डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू सी डी ओ एस-इंडिया. कॉम) को केंद्रक अभिकरण के रूप में नामित किया गया है।

(2) मई, 2001 में न्यूरेमबर्ग, जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय स्टोन मेलों में भारतीय स्टोन उद्योग ने भाग लिया। 10 इकाईयों ने भाग लिया एवं मारमोमैक फेयर, जून 2001 इटली: इटली में इकाइयों ने स्टोन संसाधन कार्याविधियों को प्रदर्शित किया: अक्तूबर, 2002 में आई एम एम कैरारा और वेरोना (इटली) का प्रदर्शन हेतु दौरा।

(3) बहुआयामी पत्थरों पर 6 से 10 फरवरी, 2002 तक बंगलौर में आयोजित स्टोना, 2002 एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का संचालन 18.2.02 को स्टोन उत्पादों पर एक क्रेता-विक्रता सहमिलन भी आयोजित किया गया था और एक शिल्पग्राम आयोजित किया गया था, जहां पारंपरिक दस्तकारों ने अपने पत्थर कलाकृतियों को प्रदर्शित किया।

(4) जयपुर में भारतीय पत्थरों के लिए राष्ट्रीय परीक्षण हाऊस की स्थापना के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मेकानिक्स, कोलार, कनार्टक, (एन आई आर एम) का चयन परामर्शदाता के रूप में किया गया।

(5) पत्थर उत्खनन विकास पर विशिष्ट प्रशिक्षण मॉडयूल एन आई आर एम द्वारा जून, 2002 को उदयपुर में प्रथम प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया गया।

(6) पत्थरों की विशिष्टताओं को दर्शाने वाले स्टोन्स के सार संग्रह (कॉमपेनडियम) को मुद्रित रूप में एवं वेबसाईट पर लांच किया गया।

(7) जोधपुर और कोटा में सितम्बर, 2001 में 2 संगोष्ठियां आयोजित की गईं।

(8) स्टोन-टेक-फेयर (जर्मनी) मई 29-जून, 1, 2003 में भाग लिया गया।

(9) 31 जनवरी-4 फरवरी, 2003 तक जयपुर में इंडिया स्टोनमार्ट 2003 मेले का आयोजन किया गया।

आरंभ किए जाने वाले क्रियाकलाप (स्टीयरिंग कमेटी द्वारा अनुमोदित)

(क) 2003 के दौरान निम्नलिखित अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/मेलों में भागीदारी की योजना है।

* स्टोन एक्सपो (फलोरिडा, अमेरिका) दिसम्बर 4-6, 2003, 100 स्कॉयर मीटर जगह की व्यवस्था।

* 2004 में दो अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भागीदारी-जिसमें वेरोना फेयर शामिल है।

(ख) वैपकॉस का 30 जून, 2003 से पूर्व पर्यावरण प्रबंध योजना पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

(ग) निर्यात संवर्धन एवं निर्यात सुविधा पर राजस्थान, गुजरात और कर्नाटक राज्यों में प्रशिक्षण/कार्यशालाएं।

(घ) सतह की फिनिशिंग एवं पत्थरों की कटाई पर एन आई आर एम द्वारा छः प्रशिक्षण कार्यक्रम (गुजरात, राजस्थान और कर्नाटक प्रत्येक में दो)।

(ङ) वैपर्कास द्वारा पर्यावरण प्रबंध कार्यशालाओं पर तीन कार्यशालाएं।

(च) दस्तकारों की कुशलता के उन्नयनीकरण के लिए तीन कार्यशालाएं (गुजरात, राजस्थान और कनार्टक प्रत्येक में एक)

(छ) निर्यात पैकेजिंग प्रशिक्षण और इन-प्रोडक्शन परामर्श पर तीन कार्यशालाएं (गुजरात, राजस्थान एवं कर्नाटक प्रत्येक में एक)

(ज) राजस्थान में मशीनरी के रखरखाव पर एक कार्यशाला।

(झ) यूजर मैन्यूअल तैयार करना।

(ञ) 34 गुजरात स्टोन नमूनों का एन आई आर एम द्वारा परीक्षण।

(ट) अतिरिक्त स्टोन नमूनों का परीक्षण।

(ठ) जयपुर में अगस्त, 2003 तक परीक्षण हाऊस के भवन का निर्माण करना एवं मशीनरी व उपकरण प्राप्त करना।

(ड) दो व्यापार प्रतिनिधिमंडल (क्रेता-विक्रेता सहमिलन सहित) एक 2003 में चीन ताईवान कोरिया के लिए एवं एक 2004 में यू एस ए कनाडा के लिए।

(ढ) स्टोन सार संग्रह (कमपेनडियम) के दूसरे खंड का मुद्रित एवं इलैक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशन।

(ण) सी डो ओ एस द्वारा उद्योग संघों के साथ संयुक्त रूप से चार डायरेक्टरियों का प्रकाशन

(त) एक रेफरेंस बुक का प्रकाशन।

(थ) भारतीय पत्थरों के आयतन का विकास एवं सी डी ओ एस वेबसाईट का अद्यतनीकरण।

(ग) भारतीय ताला उद्योग के विकास हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम

यह कार्यक्रम विकास आयुक्त (लघु उद्योग) के कार्यालय द्वारा एन एस आई सी, सिडबी, ताला उद्योग संघों/कामगारों/को-ओपरेटिव डिन्डीगुल सी एम आई तथा यूनिडो के आई सी ए एम टी परियोजना के सहयोग से समन्वित किया जा रहा है।

कार्यक्रम के उद्देश्य हैं—

(i) भारतीय ताला उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को मजबूत करना।

(ii) विश्व बाजार में भारतीय ताला उद्योग के शेयरों में वृद्धि करना।

(iii) विनिर्माण क्षमता को बढ़ाना तथा प्रौद्योगिकी क्षमता को मजबूत करना।

(iv) एन एस आई सी केन्द्र अलीगढ़ तथा डी आई सी ओ सामान्य सुविधा केन्द्र डिन्डीगुल का प्रौद्योगिकी उन्नयन।

विद्यमान स्तर

(i) भारतीय ताला उद्योग विकास पर राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन पी डी एल आई) हेतु परियोजना दस्तावेजों पर 21 सितम्बर 2001 को हस्ताक्षर हुए।

(ii) एन पी डी एल आई के लिए एन एस आई सी को क्रियान्वित अभिकरण के लिए चुना गया।

(iii) केन्द्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान, बंगाटोर, आवश्यक डिजाइन/प्रौद्योगिकी आगत देने के लिए सहमत हो गई है।

(iv) एन एस आई सी तकनीकी सेवा केन्द्र, अलीगढ़ में डिन्डीगुल के शिल्पी (25) को प्रशिक्षण दिया गया है।

(v) कोयम्बटूर औद्योगिक मेले में लघु उद्योग ताला विनिर्माताओं की भागीदारी।

(vi) ताला उद्योग के विकास हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन पी डी एल आई) पर संचालन समिति की प्रथम बैठक 14 फरवरी 2002 को हुई, ने एन पी डी एल आई के क्रियान्वयन हेतु प्रस्तावित रोडमैप को अनुमति दे दी है।

(vii) जिन इकाइयों ने पिन सिलेन्डर प्रौद्योगिकी पहले ही अपना ली है, के लिए कोर ग्रुप इकाइयाँ बनाने के लिए कार्य आरम्भ कर दिया है।

(viii) बिल्डिंग मेटीरियल प्रदर्शनी वेनीजुएला जो बिल्डिंग मेटीरियल एंड टेकनालाजी प्रमोशन कौंसिल, नई दिल्ली द्वारा आयोजित की गई है, में ताला विनिर्माताओं इकाइयों द्वारा भागीदारी।

(ix) डिन्डीगुल ताला कारीगरों के लिए एस आई एस आई

चैन्नै आई सी ए एन टी ने डिन्डीगुल में विशेष उद्यमिता विकास कार्यक्रम का आयोजन किया।

(x) गुड मेन्युफेक्चरिंग प्रेक्टिस पर अलीगढ़ में प्रशिक्षण कार्यक्रम।

(xi) अलीगढ़ में एन एस आई सी के तकनीकी सेवा केन्द्र का नवीनीकरण एवं विस्तार शुरू।

(xii) ताला निर्माताओं का एक दल कोलोन (जर्मनी) के लिए प्रयोजित किया गया।

(xiii) नवम्बर 2002 में 12 उद्यमियों ने दिल्ली में ताला सम्बन्धी प्रदर्शनी में भाग लिया।

(xiv) ताला तकनीक में नए आयाम पर अलीगढ़ में अप्रैल 2003 में कार्यशाला।

(घ) भारतीय मशीन टूल उद्योग के विकास हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन पी डी आई एम टी आई)

यह कार्यक्रम 31.12.2001 को आरम्भ किया गया तथा यह विकास आयुक्त (लघु उद्योग) के कार्यालय द्वारा सिडबी, भारतीय मशीन टूल मेन्यूफेक्चर्स एसोसिएशन, सी एम टी आई तथा यूनिडो के आई सी ए एम टी परियोजना, कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा पंजाब की राज्य सरकारों के सहयोग से समन्वित किया जा रहा है।

मुख्य उद्देश्य

भारतीय मशीन टूल इंडस्ट्री की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को मजबूत करना, विनिर्माण क्षमता को बढ़ाकर विश्व बाजार में इनकी हिस्सेदारी बढ़ाना। इनकी तकनीकी तथा बाजार विकास क्षमता को मजबूत करना तथा लघु उद्योग क्षेत्र के साथ मजबूत संयुजन विकसित करना व विश्वीय प्लेयर बनने की औद्योगिक अभियान में इसे प्रधान भूमिका प्रदान करना।

तात्कालिक उद्देश्य

- मशीन औजारों के लिए माँग बढ़ाने के द्वारा प्रतिनिधि/घातीय वृद्धि का सुनिश्चय।
- भारतीय मशीन टूल उद्योग से निर्यात का सुनिश्चय करना।
- एक गुणवत्ता स्तर प्राप्त करना उपभोक्ताओं की सन्तोषप्रदता से अधिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय अपेक्षा तथा मानकों को पूरा करना।
- लागत नेतृत्व को प्राप्त करना।
- प्रौद्योगिकी ओवर ड्राइव की ओर जाना।
- सूचना प्रौद्योगिकी को उठाना।
- सूचना प्रौद्योगिकी को उठाना, बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए समर्थ बनाना।
- व्यापार-श्रेष्ठता को सँभालना या थामे रखना।
- प्रशिक्षण क्षमता को बढ़ाना तथा सतत वृद्धि के लिए कार्यक्रम विकसित करना।

अब तक प्रारंभ किए गए कार्य

1. मशीन टूल्स के सी ए डी डिजाइन पर प्रशिक्षण (3 से 5 माह की अवधि के 6 कार्यक्रम)
2. यूरोप में मशीन टूल प्रौद्योगिकी और मशीन टूल मार्केट का सर्वेक्षण तथा मूल्यांकन
3. अमरीकी बाजार में टैक्नालॉजी मैपिंग और मशीन टूल उद्योग का सर्वेक्षण
4. इटली में मशीन टूल प्रदर्शनी (बी आई एम यू 2002) में भागीदारी
5. ई एम ओ 2001 तथा जर्मनी में मशीन टूल प्रदर्शनी में भागीदारी
6. क्लस्टर विकास कार्यक्रम के सहयोग में लघु मशीन टूल निर्माताओं का चीन में प्रतिनिधिमंडल
7. बंगलौर में राष्ट्रीय मशीन टूल शो 2002
8. लुधियाना में जून, 2002 में मशीन टूल उन्नयन पर जागरूकता कार्यक्रम
9. बटाला में रेट्रो फिटिंग तथा सी एन सी मशीनों का उत्पादन पर कार्यशाला 2002
10. यूरोपियन प्रौद्योगिकियों की मैपिंग के प्रचार प्रसार पर आधारित कार्यशाला दिल्ली, मुम्बई और बंगलौर
11. नवम्बर, 2001 में मैटलकटिंग पर मुम्बई में अन्तर्राष्ट्रीय

सम्मेलन

12. जून, 2002 में लोनावाला में व्यापार उत्कृष्टता को आत्मसात करने के लिए उद्यम प्रबंधन पर कार्यशाला

13. जुलाई, अगस्त 2002 में बंगलौर में औद्योगिक अभिकल्प, एरगॉनामिक्स तथा एसथोटिक्स पर 5 दिवसीय कार्यशाला

14. औरंगाबाद में विजन फॉर मशीन टूल इंडीस्ट्री पर कार्यशाला।

15. लघु इकाइयों की टूलटैक 2002 में सामूहिक भागीदारी।

16. राजकोट में मशीन टूल्स इंडीस्ट्री के विकास पर कार्यशाला

17. जनवरी, 2003 में अनुभव शेयरिंग पर बी आई एस यू समूह पर आधारित संगोष्ठी

18. 14-15 फरवरी, 2003 को नई दिल्ली में धातु कटिंग पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी

19. चीन के लिए मशीन टूल्स इकाइयों का प्रतिनिधि मंडल ले जाना।

20. मशीन टूल इकाइयों का अन्तर्राष्ट्रीय मशीन टूल शो (आई एम टी एस) 2003 में सामूहिक भागीदारी।

प्रस्तावित कार्यवाइयां

1. चुनींदा मशीन टूल क्लस्टर्स में एंड यूजर सर्वे
2. अमरीका में ग्राहकों का डेटाबेस तैयार करना
3. भारतीय ग्राहकों का डेटाबेस तैयार करना
4. मशीन टूल डिजाइन पर हैंडबुक
5. पंजाब महाराष्ट्र तथा गुजरात में लघु मशीन उपकरण निर्माताओं हेतु कार्यशालाओं सहित विशेष पहलें तथा क्रियाविधि।
6. इटली (मिलान) में अन्तर्राष्ट्रीय मशीन टूल प्रदर्शनी (ई एस ओ 2003) में भागीदारी

आई एस ओ-9000/आई एस ओ-14001 प्रमाणन हेतु प्रोत्साहन के माध्यम से लघु उद्योग क्षेत्र में गुणवत्ता उन्नयन

आई एस ओ 9000, मानकों हेतु अन्तर्राष्ट्रीय संगठन का परिवर्णी शब्द है। आई एस ओ 9000 का प्रत्यायन है गुणवत्ता जो उत्पादों को विश्वव्यापी बाजार में बेचे। लघु उद्योग क्षेत्र, भारतीय अर्थव्यवस्था का गतिशील तथा कम्पायमान क्षेत्र के रूप में उभरकर आया है। विकास आयुक्त (लघु उद्योग) के कार्यालय ने आई एस ओ 9000 गुणवत्ता प्रणाली की प्रोत्साहन योजनाओं का आरम्भ किया है जिसका उद्देश्य लघु उद्योग क्षेत्र में प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा गुणवत्ता सुधार को प्रोत्साहन देना तथा उन्हें विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा हेतु तैयार करना है। योजना के अन्तर्गत आई एस ओ 9000 प्रमाणन प्राप्त करने के लिए खर्च राशि का 75% जो प्रत्येक इकाई को 75000/- रुपये तक प्रतिपूर्ति करता है।

आई. एस.ओ.-14001-प्रमाणन व्ययों की प्रतिपूर्ति के संबंध में चल रही आई.एस.ओ.-9000 स्कीम का विस्तार

विश्वव्यापी मार्किट में पर्यावरण प्रबंधन सिस्टम (ई.एम.एस.) अर्थात आई.एस.ओ. 14001 प्रमाणन की अनुपालना अनिवार्य रूप से बढ़ रही है। अत: लघु उद्योग इकाइयों को आई.एस.ओ.-14001 प्रमाणन प्राप्त करने के संबंध में राजी करने के लिए नई पहलें भी अपेक्षित हैं। भारत सरकार ने आई.एस.ओ.-9000 प्रमाणन की प्राप्ति के लिए होने वाले व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए मौजूदा स्कीम के कार्य क्षेत्र को विस्तृत करने का निर्णय लिया है, ताकि आई.एस.ओ.-14001 की प्राप्ति हेतु होने वाले व्ययों की प्रतिपूर्ति को भी कवर किया जा सके और तदनुसार 28-10-2002 को एक प्रशासनिक आदेश जारी किया गया है।

योजना की मुख्य विशेषताएँ

(i) योजना में, आई एस ओ 9000/आई एस ओ 14001 प्रमाणन प्राप्त करने में आए लागत प्रभारों का 75%, जो प्रत्येक मामले में 75000/- रुपये से अधिकतम न होगा, प्रतिपूर्ति करने का अनुमान है।

(ii) लघु /आनुषंगिक/अतिलघु/एस एस एस बी ई इकाइयां प्रोत्साहन योजना प्राप्त करने की पात्र हैं।

(iii) योजना केवल उन्हीं लघु/आनुषंगिक/अति लघु/एस एस एस बी ई इकाइयों पर लागू है जिन्होंने पहले ही आई एस ओ 9000/आई एस ओ-14001 प्रमाणन प्राप्त किया हुआ है।

(iv) यह एक अखिल भारतीय स्कीम है जोकि विकास आयुक्त (ल. उ.)ल. उ. मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चलायी जा रही है। अपर सचिव एवं विकास आयुक्त (ल. उ.) की अध्यक्षता में एक स्क्रीनिंग कमेटी स्थापित की गई है, जोकि प्रतिपूर्ति की स्वीकृति हेतु आवेदन-पत्रों पर विचार करती है।

(v) स्कीम में केवल स्थायी ल.उ. पंजीकरण प्रमाण-पत्र के मुद्दे एक बारगी प्रतिपूर्ति की व्यवस्था की गई है। किसी केन्द्रीय सरकार (विकास आयुक्त (ल.उ.) की प्रोत्साहन स्कीम सहित)/राज्य सरकार/वित्तीय संस्थान के तहत आई. एस. ओ. 9000 या आई. एस. ओ.-14001 की अधिप्राप्ति की पहले ही प्राप्त की गई प्रोत्साहन/आर्थिक सहायता अनुदान की राशि का समायोजन प्रतिपूर्ति पात्रता के मद्दे किया जाएगा।

तात्पर्य यह है कि एक या उससे अधिक प्रमाणन की प्राप्ति हेतु कुल प्रतिपूर्ति पात्रता की अधिकतम सीमा 75000/- रू० मात्र है। यदि किसी इकाई ने केन्द्रीय सरकार/ राज्य सरकार/ वित्तीय संस्थान ने किसी एक प्रमाणन के मद्दे 75000/- रू० की अधिकतम सीमा की राशि से कम प्रतिपूर्ति/आर्थिक सहायता/अनुदान प्राप्त किया है तो इकाई केवल शेष राशि प्राप्त करने की पात्र होगी।

(vi) भारत सरकार ने योजना को दसवीं योजना अवधि अर्थात 31 मार्च 2007 तक बढ़ा दिया है।

आवेदन प्रारूप, परिशिष्ट, प्रफोर्मे आदि तथा 'भरे हुए आवेदन' का नमूना सीडो वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू. स्माल इन्डस्ट्री इंडिया. कॉम पर उपलब्ध है। यह योजना मार्च 1994 से प्रचालन में है। इस योजना से 31 मार्च, 2003 तक कुल 3558 लघु उद्योग/ आनुषंगिक इकाइयाँ लाभान्वित हो चुकी हैं।

योजना की वर्ष-वार प्रगति (पिछले पाँच वर्षों में)	
वर्ष	लाभान्वित इकाइयों की संख्या
1998-99	54
1999-00	127
2000-01	176
2001-02	992
2002-03*	1182

आवेदन तथा आवेदन के साथ अपेक्षित दस्तावेज

पंजीकृत लघु उद्योग इकाइयाँ, अपने आवेदन-पत्र संलग्नकों सहित विकास आयुक्त (लघु उद्योग) के कार्यालय में निम्न पते पर प्रस्तुत कर सकती हैं :

औद्योगिक सलाहकार (इलैक्ट्रोनिक्स)
विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय
लघु उद्योग मन्त्रालय
7वीं मंजिल, ए विंग, निर्माण भवन
मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली - 110011
वेबसाइट : डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू.लघु-उद्योग.कॉम
डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू. स्मालइंडस्ट्री इंडिया.कॉम

राष्ट्रीय पुरस्कार

लघु उद्यमियों को राष्ट्रीय पुरस्कार

लघु उद्यमियों को, उनकी लघु इकाइयों के कुशल प्रबन्धन, आधुनिकीकरण, उनके द्वारा उत्पादों की गुणवत्ता उन्नयन, उच्च उत्पादकता स्तर प्राप्ति, घरेलू/विदेशी बाजार में उनकी उपलब्धियों तथा प्रौद्योगिकी सुधार के लिए प्रोत्साहित तथा उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाते हैं।

इन पुरस्कारों के लिए अन्तिम चयन राज्य/संघ शासित प्रदेश स्तर की चयन समितियों की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय स्तर की चयन समिति के द्वारा किया जाता है।

इस योजना के अन्तर्गत तीन राष्ट्रीय पुरस्कार (प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय) तथा एक विशेष मान्यता पुरस्कार प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रदेश के उद्यमियों को दिए जाने का प्रावधान है। राष्ट्रीय पुरस्कारों में एक ट्राफी तथा प्रमाण–पत्र के अतिरिक्त क्रमशः 25,000/–, 20,000/– तथा 15,000/– रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाता है। विशेष मान्यता पुरस्कार के रूप में भी एक ट्राफी/प्रमाणपत्र तथा 10,000/– रुपए की नकद राशि दिए जाने का प्रावधान है। वर्ष 1993 से प्रथम राष्ट्रीय पुरस्कार के समतुल्य एक विशेष पुरस्कार उत्कृष्ट महिला उद्यमी तथा उत्कृष्ट अनुसूचित जाति/जनजाति उद्यमी को भी दिया जाना आरम्भ किया गया है। यह सभी पुरस्कार प्रत्येक कलेण्डर वर्ष के लिए दिए जाते हैं।

लघु उद्योगों के द्वारा गुणवत्ता वाले उत्पादों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार

लघु उद्योग क्षेत्र में उच्च राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय गुणवत्ता वाले उत्पादों की उत्पादन क्षमता प्रोत्साहित करने के लिए विशेष राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाते हैं जिससे कि लघु उद्योगों में उत्पादों की गुणवत्ता वृद्धि के संबंध में जागरूकता का विस्तार किया जा सके तथा साथ ही घरेलू उपभोक्ताओं में लघु उद्योगों के उत्पादों की गुणवत्ता के संबंध में विश्वसनीयता बढ़ाने तथा निर्यात बाजार में भारतीय लघु उद्योग की उत्पादों की छवि उज्ज्वल करना संभव हो पाए।

यह पुरस्कार राज्य/संघ शासित क्षेत्रों की स्तर की चयन समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय स्तर की चयन समिति द्वारा प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष के लिए दिए जाते हैं। प्रतिवर्ष कुछ चुने गए उत्पाद समूहों में से प्रत्येक के लिए उच्च गुणवत्ता के उत्पाद लघु इकाई को पुरस्कार स्वरूप एक ट्राफी/प्रमाणपत्र तथा 25,000/– रूपए की नकद राशि प्रदान की जाती है।

लघु उद्योगों में अनुसंधान तथा विकास प्रयासों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार

लघु उद्योगों के द्वारा अनुसंधान तथा विकास संबंधी प्रयासों की अनुसंधान अवधारणा को तथा उनमें तकनीकी संस्कृति को सुदृढ़ बनाकर उनके समग्र गुणवत्ता विकास के संवर्धन की दृष्टि से राष्ट्रीय पुरस्कार प्रत्येक कलेण्डर वर्ष के लिए दिए जाने का प्रावधान है। ये पुरस्कार उनमें विकास एवं अनुसंधान की प्रवृत्ति को विकसित करने एवं उसे प्रोत्साहित करने के लिए दिए जाते हैं। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार के रूप में क्रमशः 25,000/– 20,000/– 15000/– रुपए की नकद राशि के अतिरिक्त एक ट्राफी तथा एक प्रमाण–पत्र दिया जाता है।

उद्योग संघों द्वारा परीक्षण केन्द्रों की स्थापना तथा राज्य सरकारों और उनकी स्वायत्तशासी निकायों के गुणवत्ता अंकन केन्द्रों के आधुनिकीकरण/विस्तार हेतु योजना-2001

1. शीर्षक

उद्योग संघों द्वारा परीक्षण केन्द्रों की स्थापना तथा राज्य सरकारों के गुणवत्ता अंकन केन्द्रों के आधुनिकीकरण/विस्तार हेतु योजना-2001

2. उद्देशिका

(क) भारत सरकार ने लघु उद्योग, कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मन्त्रालय में, लघु उद्योगों के उद्योग संघों को वित्तीय सहायता प्रदान करने, गुणवत्ता परामर्श स्थापित करने तथा सामान्य परीक्षण सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए 1995 में एक योजना आरम्भ की, जिसका उद्देश्य—

(i) लघु उद्योग संघों को प्रोत्साहित करना कि वे कच्चे माल/अवयवों के तथा तैयार उत्पाद के क्षेत्र में सम्बन्धित मानक विनिर्देशन के अनुसार परीक्षण सुविधाएँ स्थापित करें तथा प्रदान करें ताकि लघु उद्योग इकाइयाँ अपने उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार लाए जाने में समर्थ हो तथा आई एस आई गुणवत्ता चिह्न प्रतीक चिह्न के लाइसेंसधारी उपभोक्ता बनें।

(ii) लघु इकाइयों को, गुणवत्ता तथा मानकीकरण में सुधार लाए जाने तथा कच्चे माल के विनिर्दिष्टीकरण तथा तैयार उत्पाद से सम्बन्धित आवश्यक सूचना उपलब्ध कराने हेतु परामर्श सेवाएँ उपलब्ध कराना।

(ख) इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता मशीनरी तथा उपकरणों की लागत के 50% के बराबर थी, जो प्रत्येक मामले में 20 लाख रुपये तक प्रतिबन्धित है, बशर्ते कि राज्य सरकारें भी संघों को बराबर की निधि जारी करने के प्रति वचनबद्ध हो, तथा संघ परीक्षण केन्द्रों को अनुकूल बनाने हेतु पूर्ण विकसित आधारभूत संरचना उपलब्ध कराएगी तथा केन्द्र को चलाने के लिए आवर्ती लागत भी पूरा करेगी। यह योजना नवम्बर 1997 से राज्यों तक भी बढ़ाई गई है ताकि मौजूदा गुणवत्ता चिह्नित केन्द्र जो राज्य सरकारों के उद्योग विभाग द्वारा चलाए जा रहे हैं, का आधुनिकीकरण तथा विस्तार हो सके।

(ग) योजना के प्रचालन के पिछले 5 वर्षों से योजना से इच्छित परिणाम नहीं प्राप्त हुए हैं क्योंकि :

(i) कुछ राज्य सरकारें बजटीय कमी के कारण बराबर का योगदान करने की वचनबद्धता नहीं निभा पाई हैं।

(ii) केन्द्रीय सहायता के रूप में 20 लाख रुपये की उच्च सीमा ज्यादा आकर्षित करनेवाली नहीं पाई गई।

(iii) राज्यों द्वारा संघों को जारी किए जानेवाली निधि में प्रक्रियात्मक देरी।

(iv) केन्द्रीय/राज्य वित्त सहायता के बावजूद अनेक संघों ने प्रत्यायन प्राप्त करने हेतु न ही भारतीय मानक ब्यूरो और न ही प्रयोगशाला तथा अंशाकन हेतु राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एन ए बी एल) से प्रत्यायन प्राप्त करने हेतु कोई कदम उठाया है।

3. संशोधित योजना

अतः भारत सरकार ने योजना की समीक्षा की है तथा इसमें परिवर्तन करने का निर्णय लिया है जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता की उच्चतम सीमा को विद्यमान 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख कर दिया है तथा जिसमें राज्य सरकार से बराबर के योगदान की शर्त भी हटा दी है।

यह माननीय प्रधानमन्त्री जी द्वारा 30 अगस्त 2000 को नई दिल्ली में, लघु उद्योगों पर राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन के समय लघु उद्योगों के लिए घोषित किए गए प्रोत्साहन पैकेज में से है। पैकेज में अन्य बातों के साथ-साथ एक मुश्त पूँजी अनुदान जो परीक्षण मशीनरी तथा उपकरणों की लागत के 50% के बराबर है, यह औद्योगिक संघों के लिए 50 लाख तक प्रतिबन्धित है जो परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करना चाहते हैं तथा प्रचालन करना चाहते हैं बशर्ते वे प्रयोगशाला अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की हों।

4. संशोधित/अशोधित योजना का कवरेज

संशोधित योजना के अन्तर्गत, उद्योग संघों द्वारा स्थापित परीक्षण प्रयोगशालाएँ आएगी जिसने चैम्बर आफ कॉमर्स, औद्योगिक सहकारिताएँ जो सोसाइटी (पंजीकरण) अधिनियम के अन्तर्गत या किसी अन्य सांविधिक अधिनियम के अन्तर्गत

पंजीकृत है, शामिल हैं। इसमें राज्य सरकारों के तत्वावधान में मौजूदा केन्द्रों का विस्तार/आधुनिकीकरण भी शामिल होगा; राज्य सरकारें या उद्योग संघ स्वायत्तशासी निकायों को वित्त उपलब्ध कराती हैं।

5. उद्देश्य

योजना का उद्देश्य परीक्षण केन्द्रों की स्थापना को संवर्धित करना है जिसमें मुख्यत: औद्योगिक इकाइयों को सुविधाएँ उपलब्ध कराना है तथा इसमें राज्य में स्थापित लघु उद्योग इकाइयाँ शामिल हैं जो कच्चे माल की गुणवत्ता के परीक्षण, अवयव तथा अन्तिम उत्पादों के परीक्षण के लिए है, केन्द्र के पास उपलब्ध परीक्षण सुविधाओं की परिधि के अन्दर सम्बन्धित मानक विनिर्देशन के लिए सुविधाएँ उपलब्ध कराना है ताकि :

(i) लघु उद्योग इकाइयों द्वारा अपने उत्पादों के लिए आई एस आई मार्क प्राप्त करने में सहायता की जा सके।

(ii) उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार लाए जाने के लिए परामर्श सेवाएँ उपलब्ध कराना।

(iii) मानकीकरण को बढ़ावा देना तथा सामग्री विनिर्देशन तथा अन्तिम उत्पाद के विनिर्देशन के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना उपलब्ध कराना।

(iv) गुणवत्ता आश्वासन को बढ़ाना तथा प्रोन्नत संसाधनों तथा परीक्षण प्रयोगशालाओं जैसे भारतीय मानक ब्यूरो, निर्यात निरीक्षण अभिकरण, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद तथा अन्य सरकारी व गैर सरकारी संगठनों को सहायता देना।

(v) लघु उद्योग इकाइयों के बीच समग्र गुणवत्ता प्रबन्धन की अवधारणा को बढ़ाना तथा इकाइयों को आई एस ओ 9000, भारतीय मानक ब्यूरो 14000 के प्रत्यायन प्राप्त करने में सहायता देना।

6. पात्रता मानदण्ड

(i) सभी औद्योगिक संघ जिसमें वाणिज्यिक तथा उद्योग चैम्बर तथा औद्योगिक सहकारिताएँ भी शामिल हैं, यदि इस योजना के अन्तर्गत एक मुश्त अनुदान सहायता प्राप्त करने के इच्छुक हैं तो उन्हें सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 या कोई अन्य संविधि के अन्तर्गत पंजीकृत कराना होगा।

(ii) आवेदक को अलग से एक शासी परिषद बनानी होगी जो परीक्षण केन्द्र के कार्य की देख-रेख करें जिससे सम्बन्धित राज्य उद्योग निदेशालय, जहाँ परीक्षण प्रयोगशाला प्रस्थापित करने का प्रस्ताव है, का प्रतिनिधित्व हो।

(iii) परीक्षण केन्द्र के सभी कर्मचारियों को कार्य करने की पूरी आजादी हो।

(iv) उद्योग संघों को, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना के लिए एक विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डी पी आर) तैयार करना होगा जिसमें बिल्डिंग के निर्माण तथा विद्युतीकरण के लिए उनके द्वारा किए गए वित्तीय प्रबन्ध की सूचना तथा परीक्षण मशीनरी तथा उपकरणों की अधिप्राप्ति हेतु बराबर का योगदान, परियोजना की वित्तीय सम्भाव्यता तथा कार्यकारी पूँजी आदि के सम्बन्ध में सूचना देनी होगी। विस्तृत परियोजना प्रस्ताव के साथ एक विवरण पत्र संलग्न हो जिसमें जिस अवधि के दौरान प्रयोगशाला स्व जीवित रहने योग्य हो, 5 से 6 वर्षों का नकद प्रवाह दर्शाया गया हो।

(v) यदि संघ/राज्य सरकारें परीक्षण केन्द्र स्थापित करने हेतु राज्य/केन्द्र सरकार से किसी अन्य प्रकार की अनुदान सहायता प्राप्त करना चाहते हैं जिसमें पूर्व योजना के अन्तर्गत सहायता भी शामिल है तो उन्हें यह सूचित करना होगा तथा परीक्षण केन्द्रों के विस्तार/गुणवत्ता चिह्नित केन्द्रों के आधुनिकीकरण को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप बनाने हेतु उन्हें एक नया परियोजना प्रस्ताव बनाना होगा तथा उसे राज्य के उद्योग निदेशक की सिफारिशों के माध्यम से विकास आयुक्त (लघु उद्योग) के कार्यालय को अग्रेषित करना होगा। तथापि वर्तमान योजना के अन्तर्गत अपने को पात्र बनाने से पहले उन्हें उनके द्वारा प्राप्त पूरी राशि का प्रस्तावित जी एफ आर 19 ए फोर्म जो चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा लेखा परीक्षित हो, में उपयोगिता प्रमाणपत्र भेजना होगा जो राज्य उद्योग निदेशक के माध्यम से विकास आयुक्त (लघु उद्योग) को भेजना होगा।

7. संशोधित योजना के अन्तर्गत देय अधिकतम राशि

एक परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए जिसमें कुछ उत्पादों के लिए उचित आधुनिक सुविधाएँ हों, के लिए

परीक्षण मशीनरी तथा उपकरणों पर 1 करोड़ रुपये का पूँजीनिवेश को पर्याप्त माना गया है। अत: इस योजना के अन्तर्गत अनुदान सहायता के रूप में भारत सरकार की अधिकतम राशि परीक्षण केन्द्र की प्रयोगशाला में स्थापित मशीनरी तथा उपकरणों की लागत के 50% होगी जिसकी उच्चतम सीमा एक मुश्त अनुदान सहायता के रूप में 50 लाख रुपये होगी।

8. अपेक्षित निधि

विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय प्रतिवर्ष पात्र संघों को संवितरित की जाने वाली अनुदान सहायता का प्राक्कलन तैयार करेगा। वित्त वर्ष 2001-2002 के लिए 0.50 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान रखा गया था। वित्त वर्ष 2002-2003 में बजट प्रावधान 0.80 करोड़ रूपए था।

9. योजना का कार्यान्वयन

(क) परीक्षण केन्द्रों की स्थापना के लिए, उनके सदस्य इकाइयों द्वारा निर्मित उत्पादों के परीक्षण हेतु पंजीकृत संघों को एक सी ई ओ तथा अन्य अपेक्षित स्टाफ की नियुक्ति करनी होगी।

(ख) (i) उद्योग संघ/गुणवत्ता चिह्नित केन्द्र द्वारा राज्य उद्योग निदेशालयों को एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट परीक्षण के लिए प्रस्तुत करनी होगी जिसमें सूचित किया जाएगा: भूमि तथा भवन की आवश्यकता, अपेक्षित परीक्षण मशीनरी तथा उपकरण उनकी लागत सहित, अपेक्षित कार्यकारी पूँजी तथा वित्तीय प्रबन्ध, कार्मिक आवश्यकता तथा सम्भाव्यता आदि।

(ii) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की जाँच के लिए तथा व्यय विवरण के सत्यापन के लिए आयुक्त/उद्योग निदेशक तथा सम्बन्धित क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्र के निदेशक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा। समिति सहायता के लिए किसी अन्य प्रतिनिधि को भी सहयोजित कर सकती है।

(ग) राज्य सरकार के उद्योग निदेशक, द्वारा प्रस्तावों की समीक्षा करने के बाद उसे अपनी सिफारिशों के साथ विकास आयुक्त (लघु उद्योग) के कार्यालय निर्माण भवन, नई दिल्ली को अग्रेषित करेंगे।

(घ) सम्बन्धित राज्यों के उद्योग निदेशालयों से प्राप्त सिफारिश किए गए आवेदनों पर अपर सचिव एवं विकास आयुक्त (लघु उद्योग) की अध्यक्षता में एक जांच समिति द्वारा विचार किया जाता है जिसमें सदस्य होंगे : डी एस टी, बी आई एस, लघु उद्योग, कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मन्त्रालय की एकीकृत वित्त संघ, औद्योगिक सलाहकार (आधु.) विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय, सम्बन्धित राज्य के उद्योग निदेशक, विकास आयुक्त (लघु उद्योग) के कार्यालय के निदेशक (आर टी सी) सदस्य सचिव होंगे। समिति उन प्रस्तावों को अनुमोदन देगी जिन्हें भविष्य में सैद्धान्तिक रूप में सहायता दी जाएगी।

(ङ) सिविल निर्माण तथा विद्युतीकरण तथा परीक्षण उपकरणों व मशीनरी के आपूर्ति हेतु आदेश प्रस्तुत करने के कार्यों के समाप्त होने के बाद संघों/राज्य सरकारों के गुणवत्ता चिह्नित केन्द्र तद्नुसार प्रयोगशाला के लिए मशीनरी तथा परीक्षण उपकरणों की अधिप्राप्ति सम्बन्धी प्रस्तुत आदेश का प्रमाण उद्योग निदेशालय को विवरण की जाँच हेतु तथा अनुदान सहायता जारी करने के अनुरोध हेतु प्रस्तुत करेंगे जिसमें मशीनरी तथा उपकरणों के आने की अनुसूची तथा सम्बन्धित दस्तावेज, रसीद आदि सूचित होगी। जैसा कि पैरा 9 (ii) ख में सूचित किया गया है जाँच के लिए बनी समिति आवेदन पत्र आगे की कार्रवाई हेतु विकास आयुक्त (लघु उद्योग) के कार्यालय में अग्रेषित करेंगे तथा एक प्रमाण-पत्र संलग्न करेंगे जो यह सुनिश्चित करेगा कि संघ/गुणवत्ता चिह्नित केन्द्र ने मशीनरी तथा परीक्षण उपकरणों पर होनेवाले व्यय की प्रतिपूर्ति अपने स्वयं के स्रोतों से की है जो हिस्से का 50% है।

(च) केन्द्रीय सरकार की 50% की अनुदान सहायता जिसकी सीमा 45 लाख रुपये है, सम्बन्धित राज्य सरकारों के संघों/गुणवत्ता चिह्नित केन्द्रों को दो किश्तों में जारी की जाएगी जो प्रत्येक 22.50 लाख रुपये होगी, यह इन अभिकरणों द्वारा क्रय प्रगति के आधार पर होगी।

(छ) केन्द्रीय सरकार द्वारा अगली किश्त तभी जारी की जाती है जब उद्योग संघ/राज्य सरकारें जी एफ आर 19 ए में पहले ही जारी भारत सरकार की अनुदान सहायता के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे जो सम्बन्धित राज्य सरकार के उद्योग निदेशालय

द्वारा प्रमाणित होगा।

(ज) भारत सरकार की अनुमोदित अनुदान सहायता की अन्तिम किश्त अधिकतम 5 लाख रुपये तक सीमित है केवल तभी जारी किया जाएगा जब उद्योग संघों की परीक्षण प्रयोगशाला/राज्य सरकार भारतीय मानक ब्यूरो/एन ए बी एल/किसी भी...अन्तर्राष्ट्रीय संगठन या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों से प्रत्यापन प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो तथा प्रत्यापन प्रमाणपत्र, व्यय के विवरण की फोटोस्टेट प्रति जो चार्टर्ड एकाउंटेंट से अभिप्रमाणित हो, प्रस्तुत करें तथा राज्य सरकार के संघों/गुणवत्ता चिह्नित केन्द्रों को दी गई पूरी अनुदान राशि का तिमाही आधार पर उपयोगिता प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करें।

(झ) भारत सरकार द्वारा संघ/राज्य सरकार को जारी अनुदान सहायता की आखिरी किश्त के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तावित जी एफ आर 19 ए फोर्म में, केन्द्रीय अनुदान सहायता की किश्त मिलने की तारीख से एक वर्ष के अन्दर प्रस्तुत करना होगा।

(ट) योजना के अन्तर्गत आवेदन मँगाने के लिए विकास आयुक्त (लघु उद्योग) के कार्यालय के क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्र प्रभाग, अग्रणीय समाचार पत्रों में आवधिक रूप में विज्ञापन निकालेंगे तथा पेपर कटिंग की प्रतियाँ सभी आयुक्त/उद्योग निदेशक को भेजेंगे।

10. निधि जारी करने के लिए शर्तें

भारत सरकार द्वारा अधिकतम 50 लाख रुपये तक की अनुदान सहायता या परीक्षण मशीनरी तथा उपकरणों की लागत के 50% इसमें जो भी कम हो, जारी करने के लिए मानी जाएगी यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हों :

(i) उद्योग संघ, शासी परिषद का गठन करें जिसमें संघ के कार्यकारी सदस्य होंगे। इस शासी परिषद में राज्य सरकार को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।

(ii) केन्द्रीय सरकार से प्राप्त अनुदान सहायता से खरीदी गई किसी भी परिसम्पत्ति का उद्योग संघ तब तक निपटान नहीं कर सकते जब तक सरकार की लिखित आज्ञा न ली हो। यदि संघ इस शर्त को मानने में असफल रहते हैं तो इस राशि को भूमि शुल्क के रूप में वसूल करने के लिए उनके तथा कार्यालय धारकों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही आरम्भ की जाएगी। इस सम्बन्ध में उद्योग संघों द्वारा प्रस्तावित फार्म में वचनबद्धता देनी होगी।

(iii) उद्योग संघ/राज्य सरकार, संबंधित राज्य सरकार के उद्योग निदेशालय को विधिवत अभिप्रमाणित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। सम्बन्धित राज्य सरकार के उद्योग निदेशालय उपयोगिता प्रमाणपत्र को प्रमाणित करने के बाद उसे विकास आयुक्त (लघु उद्योग) नई दिल्ली के कार्यालय में अग्रेषित करेंगे।

(iv) केन्द्रीय सरकार की अनुदान सहायता केवल मशीनरी तथा उपकरणों की खरीद पर आई लागत पर ही व्यय की जाए तथा आवर्ती व्यय या पूँजी प्रकृति के किसी अन्य व्यय के लिए उपयोग न की जाए।

11. अवधि

योजना आरम्भिक 5 वर्षों की अवधि के लिए प्रचालन में है जो 2001–2002 से प्रभावी है तथा इसे बढ़ाने का निर्णय योजना के कार्यनिष्पादन तथा सफलता को देखकर लिया जाएगा। इस योजना को चालू करने के बाद, पैरा 1 में सूचित मौजूदा योजना संशोधित योजना में मिला दी जाएगी तथा बन्द कर दी जाएगी।

मिनी टूल रूम तथा प्रशिक्षण केन्द्र

प्रस्तावना

भारत सरकार ने बड़े आकार के कुछ टूल रूम तथा प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना, औजारों के डिजाइन तथा विनिर्माण हेतु सुविधा उपलब्ध कराने तथा औजार बनाने वाले कामगारों की कार्यकुशलता में सुधार लाए जाने के लिए प्रशिक्षण, लघु उद्योग क्षेत्र के उद्योगों के लाभ हेतु सुविधा उपलब्ध कराने के लिए की है; जिनमें प्रत्येक की 50 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत शामिल है।

मिनी टूल रूम तथा प्रशिक्षण केन्द्र योजना

देश में टूल तथा डाई की बढ़ती हुई माँग को देखते हुए विशेषकर लघु उद्योग क्षेत्र की माँगों को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने, राज्य सरकारों को मिनी टूल रूम तथा प्रशिक्षण केन्द्रों को स्थापित करने में सहायता देने का निर्णय लिया है। इस प्रकार के केन्द्र का एक प्रारूप लगभग 15 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से स्थापित किया जा सकता है (इसमें मशीनरी/उपकरणों की लागत के 10 करोड़ रुपये शामिल हैं।) तथापि प्रस्तावित क्रिया-कलापों के आधार पर लागत भिन्न-भिन्न हो सकती है। नए मिनी टूल रूमों के लिए केन्द्रीय सहायता एकमुश्त अनुदान के रूप में होगी जो मशीनरी तथा उपकरणों की लागत के 90% होगी (प्रत्येक मामले में 9 करोड़ रुपये तक प्रतिबन्धित है) तथा विद्यमान टूल रूमों के उन्नयन/आधुनिकीकरण हेतु मशीनरी तथा उपकरणों की लागत का 75% (जो 7.50 करोड़ रुपये प्रतिबन्धित है) होगी। मशीनरी/उपकरणों की शेष लागत, भूमि तथा भवन की लागत तथा आवर्त्ती लागत राज्य/राज्य अभिकरणों द्वारा पूरा किया जाएगा। योजना, केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में क्रियान्वित होगी जिसके लिए योजना आयोग का अनुमोदन प्राप्त है।

उद्देश्य

मिनी टूल रूम तथा प्रशिक्षण केन्द्रों के उद्देश्य होंगे :

(क) लघु उद्योगों के लिए जिग्स, फिक्सचर, कटिंग टूल, गेज, प्रेस टूल प्लास्टिक साँचे, फोर्जिंग डाइस, प्रेशर कास्टिंग डाई तथा अन्य उपकरणों का विनिर्माण करना। केड/केम तकनीक द्वारा उन्नत टूल मेकिंग प्रक्रिया अपनाना।

(ख) औजार बनाने तथा औजार अभिकल्प में प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराकर कुशल कामगारों, पर्यवेक्षकों, अभियन्ताओं/डिजाइनरों आदि का एक कार्यबल सृजित करना।

(ग) क्षेत्र में औजार उद्योग से सम्बन्धित कठिनाइयों को हल करने के लिए परामर्श, सूचना सेवा, दस्तावेज आदि उपलब्ध करने के लिए एक न्यूकलियस केन्द्र के रूप में कार्य करना।

(घ) लघु उद्योगों के लिए एक सामान्य सुविधा केन्द्र के रूप में कार्य करना तथा उन्हें उत्पाद तथा प्रोटोटाइप विकास में मदद करना।

संसाधन प्रस्तावों के लिए प्रक्रिया

राज्य सरकार

जो राज्य सरकारें मिनी टूल रूम तथा ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करना चाहती हैं, वे माँग सर्वेक्षण के आधार पर प्रस्ताव बनाएं। अपेक्षित भूमि, भवन, मशीनरी/उपकरण के सम्बन्ध में विवरण निकाल कर लागत अनुमान निकाला जाएगा। (एक प्रारूप मिनी टूल रूम के लिए मशीनरी/उपकरणों के लिए सुझाई गई सूची अनुबंध I में दी गई है)। उद्योग की विनिर्दिष्ट आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारें मशीनरी की सूची में परिवर्तन कर सकती हैं।

राज्य सरकारें अपने सक्षम प्राधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त करेंगी, तदोपरान्त प्रस्ताव को केन्द्रीय सहायता अनुदान हेतु (प्रस्तावित फार्म में अनुबंध II में) भारत सरकार, विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय, 7वीं मंजिल, निर्माण भवन, नई दिल्ली 110011 को प्रेषित करेंगी। भारत सरकार के पास प्रस्ताव भेजने से पहले राज्य सरकार यह सुनिश्चित/पुष्टि कर ले कि वे मशीनरी/उपकरण की शेष लागत भूमि तथा भवन की लागत तथा आवर्त्ती लागतों को वहन करेगी।

भारत सरकार

राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों की संवीक्षा करते समय विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय फैले हुए विद्यमान टूल रूमों की भौगोलिक स्थिति तथा प्रस्तावों की वित्तीय व्यवहार्यता का भी ध्यान रखेगा।

सहायता अनुदान जारी करना

राज्य सरकारों से विशेष अनुरोध प्राप्त होने के बाद, आधारभूत सुविधाओं के सृजन के बाद तथा मशीनरी की अधिप्राप्ति के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दिए जाने तथा राज्य सरकारों द्वारा अपने व्यय के शेयर को पूरा करने के लिए आवश्यक बजटीय प्रावधान करने के बाद राज्य सरकारों/राज्य अभिकरणों को केन्द्रीय सहायता किश्तों के रूप में जारी की जाएगी।

राज्य सरकारें/राज्य अभिकरण जी एफ आर के प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण–पत्र भेजेगी।

मिनी टूल रूम तथा ट्रेनिंग सेण्टर के पूर्णत: प्रचालन के बाद राज्य सरकार/राज्य अभिकरण भारत सरकार को सूचनार्थ एक समापन रिपोर्ट भेजेगी। इसके बाद सेण्टर की 5 वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट भी भारत सरकार को योजना के कार्यनिष्पादी के मूल्यांकन हेतु भेजेगी।

क्रियान्वयन अभिकरणों के शासी बोर्ड में केन्द्रीय सरकार का एक नामिती शामिल करने का प्रावधान भी राज्य सरकारों/राज्य अभिकरणों को रखना होगा।

मिनी टूल रूम तथा प्रशिक्षण केन्द्र
मशीनरी की सुझाई गई सूची

क्रम सं.	मशीन/उपकरण का विवरण	आकार/विनिर्देशन	मात्रा सं.	अनुमानित इकाई मूल्य (लाख रु. में)	अनुमानित कुल लागत (लाख रु. में)
1.	**शेपिंग**				
	शेपिंग मशीन	300 मिमी स्ट्रोक	2	1.50	3.00
2.	**टर्निंग**				
	कन्वेन्शनल लेथ	250 × 800 मिमी	5	7.00	35.00
	सी एन सी लेथ	250 × 400 मिमी	3	20.00	60.00
3.	**मिलिंग**				
	परम्परागत मिलिंग	600 × 450 × 450 मिमी	6	8.00	48.00
	सी एन सी मिलिंग	600 × 450 × 450 मिमी	2	40.00	80.00
	इलैक्ट्रोड मेकिंग		1	11.00	11.00
	पेन्टाग्राफ		1	3.00	3.00
4.	**ग्राइंडिंग**				
	सिलेन्ड्रिकल ग्राइन्डिंग	100 × 350 – 130 × 630 मिमी	3	12.00	36.00
	सरफेस ग्राइन्डिंग टूल व	600 × 300 – 800 × 450 मिमी	3	13.00	39.00
	कटर ग्राइन्डिंग परीक्षण तथा	130 × 630 मिमी	2	10.00	20.00
	जाँच उपकरण (प्रोफाइल प्रोजेक्टर, हाइट, माइक्रोमीटर स्लिप बॉक्स, कम्परेटर आदि)		पर्याप्त	30.00	30.00
5.	**एडवान्स मशीन**				
	सी एन सी वायर कट	400 × 250 × 250 मिमी	1	35.00	35.00
	स्पार्क इरोजन	550 × 300 × 300 मिमी	2	12.50	25.00
	जिग बोरिंग	450 × 250 × 300 मिमी	1	65.00	65.00
	जिग ग्राइन्डिंग	450 × 250 × 300 मिमी	1	80.00	80.00
	3 डी कोर्डिनेट मेजरिंग	600 × 450 × 600 मिमी	1	35.00	35.00
6.	**सी एन सी प्रशिक्षण**				
	प्रोग्रामिंग स्टेशन	पी II सरवर/क्लायंट/सॉफ्टवेयर	8	1.00	8.00
	ट्रेनर लेथ	70 × 300 मिमी	2	12.50	25.00
	ट्रेनर मिलिंग	टेबल टॉप/साफ्टवेयर	2	12.50	25.00
7.	**केड/केम**				
	केड प्रोग्राम	आर्टीजन/सोलिड वर्क	7	2.00	14.00
	केम प्रोग्राम	आर्टीजन/मास्टर केम	6	2.00	12.00

क्रम सं.	मशीन/उपकरण का विवरण	आकार/विनिर्देशन	मात्रा सं.	अनुमानित इकाई मूल्य (लाख रु. में)	अनुमानित कुल लागत (लाख रु. में)
8.	**सह उपकरण**				
	हीट ट्रीटमेंट		लोट	25.00	25.00
	डरेक्ट/केस/टेम्परिंग ड्रिलिंग	15 मिमी, 25 मिमी 840 मिमी	3	0.50	1.50
	रेडियल ड्रिलिंग	63 मिमी, 20 मिमी	3	6.00	6.00
	पेडेस्टल/बेंच ग्राइन्डर	150 मिी, 200 मिमी	3	0.20	0.60
	आर्क वेल्डिंग सेट		1	0.75	0.75
	गैस वेल्डिंग/कटिंग		1	0.75	0.75
	पावर हैक्सा	250 मिमी	1	0.75	0.75
9.	**फिटिंग**				
	वर्क बेंचिस, लाकर आदि	28	1.25	35.00	
10.	**ट्राई आउट मशीन**				
	पावर प्रेस	100 मी टन	1	20.00	20.00
	इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन	130 मी टन	1	25.00	25.00
11.	**उपस्कर**				
	कटिंग ट्रल	कारबाइड, एच एस एस	2 सेट	25.00	50.00
	उपभोज्य पदार्थ	ग्राइन्डिंग व्हील	2 सेट	25.00	50.00
	मशीन उपस्कर मेज़रिंग	स्लीव, कॉलेट/होल्डर्स, केलिपर्स,	2 सेट	15.00	30.00
	उपकरण हस्त औजार	माइक्रोमीटर, स्पेनर्स, फाइल आदि	2 सेट	10.00	20.00
12.	**सेवा उपकरण**				
	डी जी सेट	250 के वी ए	1	20.00	20.00
	एयर कंडिशनिंग उपकरण		पर्याप्त	25.00	25.00
	मेटीरियल हेंडलिंग	पेलेट ट्रक, सीज़र टेबल	पर्याप्त	10.00	10.00
	एयर कम्प्रेशर/पाइपिंग		पर्याप्त	10.00	10.00
	विविध उपकरण	इलै. डीबी, यूपीएस आदि	पर्याप्त	40.00	40.00
	कुल लागत				1,059.35

टिप्पणी :

1. कार्यालय उपकरण/फर्नीचर, संयंत्र तथा मशीनरी के भाग नहीं होंगे।
2. उपरोक्त मशीनरी तथा उसकी संरचना, किए जानेवाले क्रिया-कलाप तथा क्षेत्र की आवश्यकता तथा अन्य स्थानीय पैरामीटरों के आधार पर परिवर्तनीय है।
3. मशीनों की अनुमानित लागत (नवम्बर-दिसम्बर 2000 की स्थिति के अनुसार) संकेतिक है, प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय, आपूर्तिकर्ता से वास्तविक लागत अभिनिश्चित की जाए।

मिनी टूल रूम तथा प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने हेतु प्रपत्र।

सेवा में,
अपर सचिव एवं विकास आयुक्त (लघु उद्योग)
विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय
लघु उद्योग मंत्रालय
7वाँ तल, निर्माण भवन,
मौलाना आजाद रोड,
नई दिल्ली - 110011

विषय : मिनी टूल रूम तथा प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के लिए राज्यों/राज्य अभिकरणों को दी जानेवाली वित्तीय सहायता—एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना।

महोदय,

मेसर्स___________________ द्वारा किए गए माँग सर्वेक्षण के आधार पर ___________________राज्य सरकार ने उपर्युक्त सूचित योजना के अन्तर्गत ___________________ एक मिनी टूल रूम तथा प्रशिक्षण केन्द्र, ___________________ लाख रुपये की अनुमानित लागत पर ___________________ लाख पर नीचे दिए गए विवरण के अनुसार स्थापित करने का प्रस्ताव किया है।

			अनुमानित लागत (लाख रुपये में)
1.	भूमि	—	(विवरण अनुबन्ध में दिया गया है।)
2.	भवन	—	(विवरण अनुबन्ध में दिया गया है।)
3.	मशीनरी और उपकरण	—	(विवरण अनुबन्ध में दिया है।)
4.	आवर्त्ती व्यय	—	(विवरण अनुबन्ध में दिया गया है।)
5.	विविध आकस्मिकताएँ	—	(विवरण अनुबन्ध में दिया गया है।)
	कुल लागत	—	

परियोजना का क्रियान्वयन___________________ द्वारा किया जाएगा तथा वित्त के स्रोत निम्न प्रकार होंगे :

			(लाख रुपये में)
1.	भारत सरकार से अनुदान	—	
2.	राज्य सरकार से अनुदान	—	
3.	अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाए)	—	

परियोजना का उद्देश्य है :

1.
2.
3.
4.

परियोजना की गर्भावधि___________________ वर्ष है। प्रस्ताव पर राज्य सरकार द्वारा___________________ विभाग के दिनांक___________________ के संस्वीकृति पत्र सं.___________________ (प्रति संलग्न) अनुमोदन दे दिया गया है। इस परियोजना हेतु वर्ष___________________ के लिए बजट में___________________ रु. का आवश्यक प्रावधान किए गए हैं।

आपसे अनुरोध है कि योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता की संस्वीकृति प्रदान करें। परियोजना रिपोर्ट की एक विस्तृत प्रति शीघ्र कार्रवाई हेतु प्रस्तुत है।

भवदीय,

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

(उद्योग निदेशक)

प्रधानमन्त्री की रोज़गार योजना (पी एम आर वाई)

केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना 2 अक्तूबर 1993 को आरम्भ की गई जिसके अन्तर्गत आठवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान एक मिलियन व्यक्तियों को लगभग 7 लाख अति लघु तथा सूक्ष्म उद्यम स्थापित करके सतत स्व:रोजगार अवसर उपलब्ध कराने का अनुमान था। यह योजना नौवीं योजना अवधि में भी जारी रही जिसका योजना लक्ष्य 2.20 लाख लाभार्थियों को प्रतिवर्ष लाभ पहुँचाना था।

शिक्षित बेरोज़गार युवक जो 18 से 35 वर्ष के आयुवर्ग के हैं (महिलाओं, अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति, भूतपूर्व सैनिक तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए उच्चतम आयु सीमा 45 वर्ष), जिन्होंने आठवीं कक्षा पास की है तथा जिनकी पारिवारिक आय 40,000/– रु. प्रतिवर्ष से कम हो, वे सभी आर्थिक व्यवहार्य क्रियाकलापों जिसमें कृषि तथा सह क्रियाकलाप (प्रत्यक्ष कृषि प्रचालन जैसे फसल उगाना तथा खाद खरीद आदि को हटाकर) शामिल हैं, के लिए ऋण प्राप्त करने के पात्र हैं। इसके अन्तर्गत व्यवसाय क्षेत्र के लिए 1 लाख रुपये तथा अन्य क्रियाकलापों हेतु 2 लाख रु. तक की परियोजनाएँ शामिल हैं। पात्र व्यक्ति भागीदारी में 10 लाख रु. तक की परियोजनाओं के लिए सहायता प्राप्त कर सकते हैं। राजसहायता परियोजना लागत के 15% तक सीमित है जिसकी अधिकतम सीमा प्रति उद्यमी 7500 रु. है। लाभार्थी द्वारा उपान्तराशि का योगदान परियोजना लागत के 5%से 16.50% तक हो सकती है ताकि राजसहायता तथा उपान्तराशि परियोजना लागत के 20% के बराबर हो। उद्योग क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए ऋण बिना किसी संपार्श्विक प्रतिभूति के दिया जाता है जबकि सेवा तथा व्यवसाय क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए 1 लाख रु. तक का ऋण बिना संपार्श्विक प्रतिभूति के दिया जाता है।

योजना में कमजोर वर्गों के लिए अधिमान्यता दी गई है। यद्यपि महिलाओं के लिए कोई आरक्षण नहीं दिया गया है लेकिन विद्यमान दिशा–निर्देशों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों को तरजीह दी जाती है। अनु. जाति/अनु. जनजाति हेतु 22.5% आरक्षण तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 27% आरक्षण उपलब्ध कराया गया है। प्रत्येक उद्यमी जिसका ऋण स्वीकृत हो जाता है उसे योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण दिया जाता है। योजना का कार्यान्वयन जिला उद्योग केन्द्रों, राज्य उद्योग निदेशालयों तथा बैंक शाखाओं द्वारा होता है।

प्रधानमन्त्री की रोज़गार योजना (पी एम आर वाई) पूर्वोत्तर राज्यों के लिए उदारीकृत की गई है। आयु सीमा की पात्रता भी 35 वर्ष से बढ़ाकर 40 वर्ष की गई है। पूर्वोत्तर राज्यों के लाभार्थियों के लिए राजसहायता की उच्चतम सीमा भी बढ़ाकर प्रति लाभार्थी 15000/– रुपये की गई है।

योजना के कार्यान्वयन का मूल्यांकन सम्बन्धित राज्य सरकारों, भारतीय रिजर्व बैंक तथा स्वतन्त्र अभिकरणों के माध्यम से निरन्तर किया जाता है।

प्रधानमन्त्री की रोज़गार योजना की मुख्य विशेषता नीचे दी गई है :

				पैरामीटर
1.	आयु	:	(i)	पूर्वोत्तर क्षेत्र को छोड़कर, देश के सभी शिक्षित बेरोजगार युवकों हेतु 18 से 35 वर्ष
			(ii)	पूर्वोत्तर राज्यों के सभी शिक्षित बेरोज़गार युवकों हेतु 18 वर्ष से 40 वर्ष
			(iii)	अनु.जाति/अनु. जनजाति, भूतपूर्व सैनिक, शारीरिक रूप से विकलांग तथा महिलाओं हेतु 18 वर्ष से 45 वर्ष
2.	शैक्षणिक योग्यता	:		आठवीं पास। उन अभ्यर्थियों को तरजीह दी जाएगी जिन्होंने सरकार द्वारा पंजीकृत अनुमोदित संस्थान से कम से कम 6 माह का किसी भी व्यवसाय में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।

	पैरामीटर			
3.	पारिवारिक आय	:		लाभार्थी की आय पति, पत्नी सहित या लाभार्थी के माता-पिता की आय 40,000/- रुपये प्रतिमाह से अधिक नहीं होनी चाहिए।
4.	आवास	:		उस क्षेत्र का कम से कम 3 वर्ष का स्थाई निवासी हो (विवाहित महिलाओं के सम्बन्ध में छूट है। विवाहित महिला के सम्बन्ध में आवासीय मानदण्ड उसके पति या पति के घरवालों पर लागू होता है।)
5.	चूककर्त्ता	:		वे किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्थान/सहकारी बैंक का चूककर्त्ता नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि कोई व्यक्ति किसी सहायक संयुक्त सरकारी योजना के अन्तर्गत पहले ही सहायता प्राप्त कर रहा है, इस योजना के लिए पात्र नहीं है।
6.	शामिल क्रियाकलाप	:		सभी आर्थिक रूप से सम्भाव्य क्रियाकलाप जिसमें कृषि तथा सह क्रियाकलाप भी शामिल हैं लेकिन प्रत्यक्ष कृषि प्रचालन जैसे फसल उगाना, खाद की खरीद आदि शामिल नहीं है।
7.	परियोजना लागत	:		व्यवसाय क्षेत्र के लिए 1.00 लाख रु. तक का ऋण। अन्य क्रियाकलापों हेतु 2.00 लाख रु. का ऋण दिया जाएगा जो मिश्रित प्रकृति का होगा। यदि दो या दो से अधिक पात्र व्यक्ति इकट्ठे होकर भागीदारी में उद्यम लगाना चाहते हैं तो 10 लाख रु. तक की परियोजनाएँ शामिल की जाती हैं। सहायता व्यक्तिक ग्राह्यता तक ही सीमित है।
8.	सब्सिडी तथा मार्जिन मनी (राजसहायता तथा उपान्तराशि)	:	(i)	राजसहायता, परियोजना लागत के 15% तक ही सीमित होगी जिसकी अधिकतम सीमा प्रति उद्यमी 7500/- रु. होगी। बैंकों को अधिकार दिए जाएँगे कि वे उद्यमियों द्वारा परियोजना लागत के 5% से 16.50% तक की उपान्त राशि लें ताकि वे राजसहायता तथा उपान्तराशि का कुल मिलाकर परियोजना लागत के 20% के बराबर हो।
			(ii)	पूर्वोत्तर राज्यों हेतु परियोजना लागत के 15% की दर से राजसहायता दी जाएगी जिसकी अधिकतम सीमा 15,000/- रु. होगी। उद्यमी द्वारा उपान्तराशि का योगदान परियोजना लागत के 5% से 12.5% तक हो सकती है ताकि राजसहायता तथा मार्जन मनी का कुल मिलाकर परियोजना लागत के 20% के बराबर हो।

				पैरामीटर
9.	संपार्श्विक प्रतिभूति	:		उद्योग क्षेत्र में 2 लाख रुपये तक (पी एम आर वाई के अन्तर्गत ऋण सीमा) की परियोजना लागत की इकाइयों के लिए कोई संपार्श्विक नहीं है। उद्योग क्षेत्र में भागीदारी परियोजनाओं के अन्तर्गत संपार्श्विक प्रतिभूति प्राप्त करने के लिए छूट सीमा 5 लाख रु. प्रति उधारकर्ता लेखा होगा। सेवा तथा व्यवसाय क्षेत्र की इकाइयों के लिए 1 लाख रुपये तक की परियोजनाओं पर कोई संपार्श्विक नहीं है। भागीदारी परियोजनाओं के मामले में भी जो परियोजना में भाग ले रहा है, संपार्श्विक से छूट 1 लाख रुपये प्रति व्यक्ति होगी।
10.	ब्याज की दर तथा अदायगी	:		ब्याज की सामान्य दर ली जाएगी। जैसा भी प्रस्ताव हो, आरम्भिक स्थगन के बाद अदायगी अनुसूची तथा अदायगी 3 से 7 वर्षों में होगी।
11.	आरक्षण	:		कमजोर वर्गों को तरजीह दी जाएगी जिसमें महिलाएँ भी शामिल हैं। योजना में अनु.जाति/अनु.जनजाति के लिए 22.5% तथा अन्य पिछड़ा वर्गों (ओ बी सी) के लिए 27% आरक्षण है। यदि किसी मामले में अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार न उपलब्ध हों तो राज्य/संघशासित प्रदेश सरकारें, प्र.म.रो.यो. के अन्तर्गत दूसरे वर्गों के उम्मीदवारों पर विचार करने में सक्षम होगी।
12.	प्रशिक्षण	:		प्रत्येक उद्यमी, जिसको ऋण संस्वीकृत हो गया हो, को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा :
			(i)	उद्योग क्षेत्र के लिए : अवधि : 15-20 कार्यकारी दिवस छात्रवृत्ति : 300/- रु. प्रशिक्षण व्यय : 700/- रु.
			(ii)	सेवा तथा व्यवसाय क्षेत्र हेतु : अवधि : 7 से 10 कार्यकारी दिवस छात्रवृत्ति : 150/- रु. प्रशिक्षण व्यय : 350 रु.
13.	कार्यान्वयन अभिकरण	:		इस योजना को क्रियान्वित करने का मुख्य दायित्व जिला उद्योग केन्द्र, उद्योग निदेशालय तथा बैंक हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार प्र. म. रो. यो . के अन्तर्गत प्रगति की संचित स्थिति

वर्ष	लक्ष्य संख्या	प्राप्त आवेदन	स्वीकृत मामले		संवितरित मामले	
			संख्या	राशि (रु. करोड़ में)	संख्या	राशि (रु. करोड़ में)
1993-94	40000	71581	30029	188	23035	137
1994-95	220000	405608	185803	1054	158863	872
1995-96	220000 *(260000)	554873	287218	1678	241843	1378
1996-97	220000	518104	271768	1653	228495	1352
जोड़ :	**700000**	**1550166**	**774818**	**4573**	**652236**	**3739**
1997-98	220000	495610	263622	1592	209103	1218
जोड़ :	**920000**	**2045776**	**1038440**	**6165**	**861339**	**4957**
1998-99	220000	501418	271342	1618	191351	1093
जोड़ :	**1140000**	**2547194**	**1309782**	**7783**	**1052690**	**6050**
1999-00	220000	487123	259088	1683	203454	1269
जोड़ :	**1360000**	**3034317**	**1568870**	**9466**	**1256144**	**7319**
2000-01	220000	447093	226316	1468	140700	869
जोड़ :	**1580000**	**3481410**	**1795186**	**10934**	**1396844**	**8188**
2001-02^	220000	149336	47577	293	23931	142
कुल :	**1800000**	**3630746**	**1842763**	**11227**	**1420775**	**83300**

* लक्ष्य योजना 2,20,000 थी लेकिन बेकलाग पूरा करने के लिए 260000 की वृद्धि की गई।
^ (नवम्बर, 2001 तक)